न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

TELE-LAW
टेली–लॉ

'REACHING THE UNREACHED'
'वंचित लोगों तक पहुँच'

Voices of the beneficiaries
लाभार्थियों की आवाज

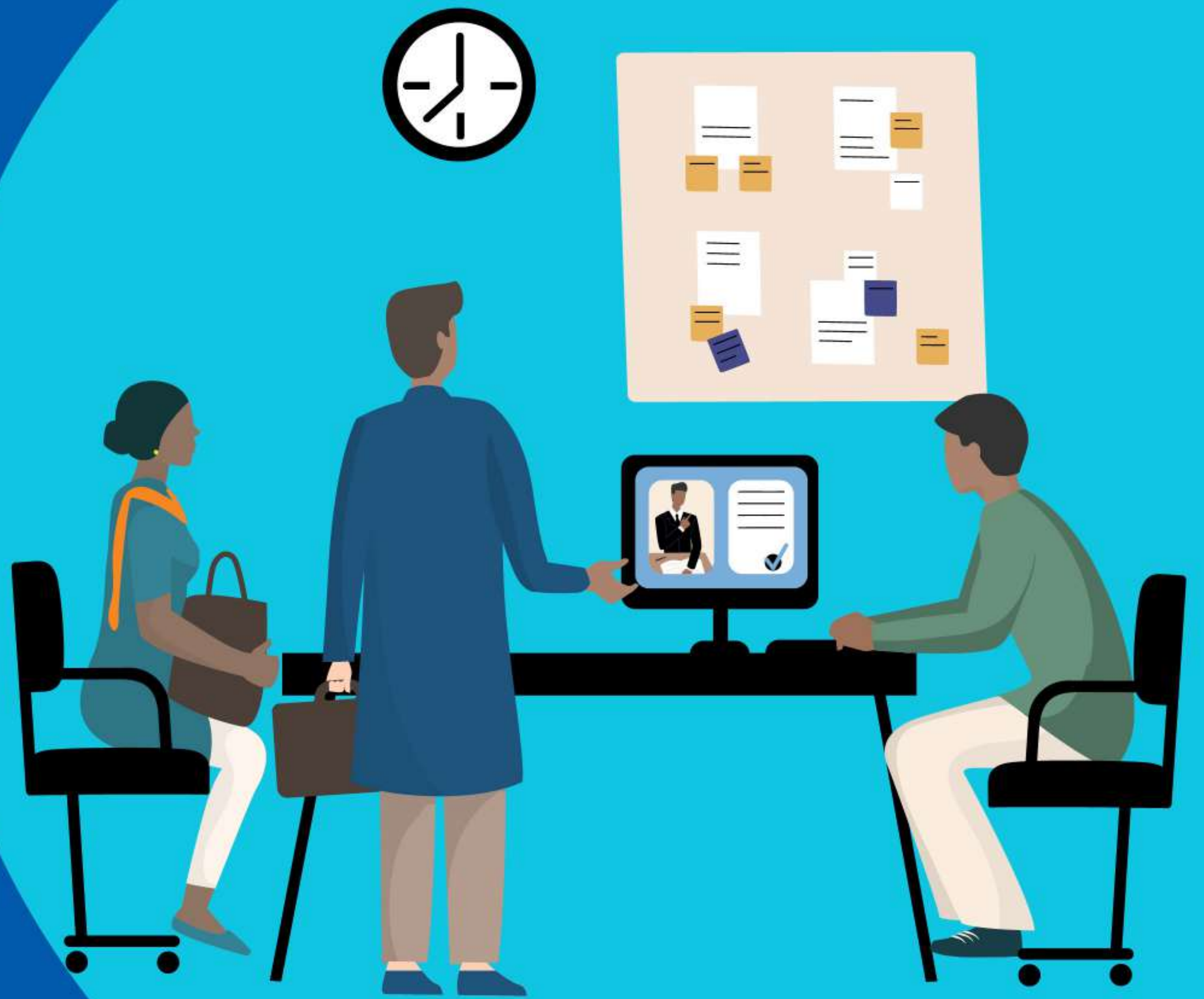

FOREWORD/प्रस्तावना

रविशंकर प्रसाद
RAVI SHANKAR PRASAD

सत्यमेव जयते

मंत्री
विधि एवं न्याय, संचार
एवं
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार
MINISTER OF
LAW & JUSTICE, COMMUNICATIONS
AND
ELECTRONICS & INFORMATION, TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF INDIA

FOREWORD

Conventionally, access to justice has been viewed through the prism of court architecture and brick and mortar judicial infrastructure. In the fast paced world of today, the quest for realizing the lofty ideals of rule of law and equitable access to justice needs to be multi-dimensional. Since its inception in 2017, Tele-Law is fast emerging as a popular platform amongst the common populace in mainstreaming legal aid.

Tele-Law has effectively championed the cause of giving voice to the voiceless and won the trust, faith and confidence of our people. Encompassing 260 districts and 29860 Community Service Centres, Tele-Law has successfully provided legal aid and advice to more than 2.75 lakh beneficiaries residing in geographically far flung and remote areas. Integrating smart technology through tele and video conferencing, it has easily and swiftly connected the poor and vulnerable citizens to panel lawyers to seek quality legal advice. It is immensely satisfying that this medium was also extensively used by common citizens for asserting their rights and entitlements during the Covid Pandemic.

The first in the series of booklet entitled "Voices of the Beneficiaries' is an eminently readable collection of real-life stories of how Tele-Law has benefitted and touched human lives across the country. Their stories would be an inspiration for the Department of Justice to intensify efforts in expanding the outreach of Tele-Law. I am confident that this platform will soon develop into a credible pillar of digital legal aid outreach.

[Ravi Shankar Prasad]

Electronics Niketan, 6 C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone: 011-24369191, 24362626 FAX : 011-24366070

Digital India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

रवि शंकर प्रसाद

कानून एवं न्याय,
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
भारत सरकार

परम्परागत रूप से, न्याय की पहुँच को कोर्ट आर्किटेक्चर और ईंट व गारे की न्यायिक अवसंरचना के नजरिए से देखा गया है । आज की तेजी से भागती हुई दुनिया में, विधि के शासन के उदात्त आदर्शों और न्याय के न्यायसंगत उपयोग को साकार करने की खोज को बहुआयामी बनाने की आवश्यकता है । 2017 में अपनी स्थापना के बाद से, टेली–लॉ आम लोगों को तेजी से कानूनी सहायता पहुंचाने में एक लोकप्रिय मंच के रूप में उभर रहा है ।

टेली–लॉ ने बेजुवानों को न्याय दिलाने के कार्य को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया है और हमारे लोगों का विश्वास और भरोसा जीता है । 260 जिलों और 29860 सामुदायिक सेवा केन्द्रों को शामिल करते हुए, टेली–लॉ ने भौगोलिक रूप से दूर–दराज और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को टेलीफोन तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट प्रौद्योगिकी को एकीकृत करते हुए, कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की है । इसने आसानी से और तेजी से गरीब और कमजोर नागरिकों को गुणवत्ता वाली कानूनी सलाह लेने के लिए पैनल वकीलों से जोड़ा है । यह बेहद संतोषजनक है कि कोविड महामारी के दौरान इस माध्यम का उपयोग आम नागरिकों द्वारा अपने अधिकार और हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था ।

"वॉयस ऑफ द बेनिफिशियरीज" नामक शीर्षक वाली श्रृंखला की पहली पुस्तिका देश–भर में मानव जीवन को लाभ पहुंचाने व उसे छूने वाली वास्तविक जीवन की कहानियों का एक उल्लेखनीय पठनीय संग्रह है । उनकी कहानियां न्याय विभाग के लिए एक प्रेरणा होगी कि टेली–लॉ के फैलाव के प्रयासों में और तेजी लायी जाए । मुझे विश्वास है कि यह मंच जल्द ही डिजिटल कानूनी सहायता के फैलाव के लिए एक विश्वसनीय स्तंभ के रूप में विकसित होगा ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

FIGHTING INJUSTICE

अन्याय से संघर्ष

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

FIGHTING INJUSTICE

CASE 1:

Mr Radhe Shah belongs to Bihar's Pipra village in Khagaria district. He has no vision in one eye and wished to, therefore, apply for disabled persons' pension. However, he did not receive the pension. Mr Shah learnt about Tele-law scheme during a community awareness programme and decided to approach the VLE, Mithun Kumar.

The VLE recommended that Mr Shah seek legal advice from a panel lawyer. Dayanand Sinha, the lawyer, advised Mr Shah to file a petition before the Block Development Officer (BDO) for grant of old age pension. Thanks to the Tele-law scheme, Mr Shah could obtain the help of the VLE in filing his application while the PLV helped him in submitting the application to the BDO.

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

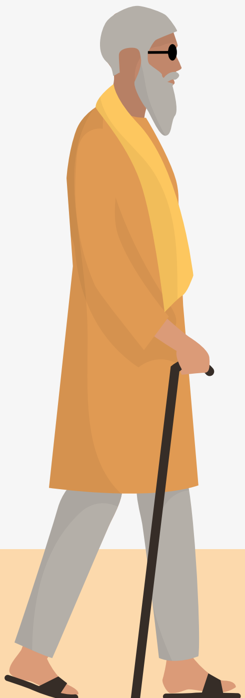

CASE 2:

In Assam's Dhubri district is a village named Madhusoulmari where Mr Harun Rashid started to attend college. On the very first day, he was bullied by his seniors. Unable to say anything to them in return, Mr Rashid soon became the victim of regular ragging. This frustrated him and the other new students such that they stopped attending college altogether.

Then, Mr Rashid learned about the Tele-law scheme when the PLV of the locality, Mr Mosfiqur Rahman, conducted door-to-door campaigns. Mr Rashid registered a case, upon the suggestion of the VLE. Panel lawyer Dwipen Sharma advised the applicant to lodge a complaint with the office of the college principal. If there were no actions taken against the bullies, Mr Rashid could then file a complaint at the nearby police station. Fortunately, the principal of the college summoned and warned the bullies of the consequences of campus bullying. Mr Rashid and his friends were able return to college and benefit from their education, all thanks to the Tele-law scheme.

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

अन्याय से संघर्ष

मामला 1:

श्री राधे शाह बिहार के खगरिया जिले के पिपरा गाँव से हैं । उसकी एक आँख में दृष्टि नहीं है और वह विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करना चाहता है । लेकिन, उन्हें पेंशन नहीं मिली । श्री शाह को सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला और उसने ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई), मिथुन कुमार से संपर्क करने का निर्णय लिया ।

वीएलई ने सलाह दी कि श्री शाह किसी पैनल वकील से कानूनी सलाह लें । दयानंद सिन्हा, वकील, ने श्री शाह को वृद्धावस्था पेंशन के लिए विकास खंड अधिकारी (बीडीओ) के समक्ष एक याचिका दायर करने की सलाह दी । टेली–लॉ योजना की बदौलत, श्री शाह अपने आवेदन को वीएलई की सहायता से दाखिल करते हैं तथा पीएलवी ने उन्हें विकास खंड अधिकारी (बीडीओ) को आवेदन जमा करने में मदद की।

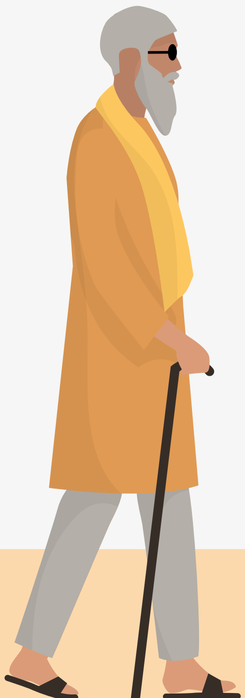

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 2:

असम के धुबरी जिले में मधुसूलेमारी नाम का एक गाँव है जहां श्री हारून राशिद ने कॉलेज जाना शुरू किया । पहले दिन, उसे उसके सीनियर्स ने परेशान किया । विरोध न कर पाने की वजह से श्री राशिद जल्द ही नियमित रैगिंग का शिकार हो गया । इससे उसे और अन्य नए छात्रों को इतनी निराशा हुई कि उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया।

ईलाके के पीएलवी, श्री मोसफिकर रहमान द्वारा डोर–टू–डोर अभियान के द्वारा श्री राशिद को टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । श्री राशिद ने ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) की सलाह पर मामला दर्ज किया । पैनल वकील द्विपेन शर्मा ने आवेदक को कॉलेज प्राचार्य के कार्यालय में शिकायत करने की सलाह दी और यदि इन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो श्री राशिद पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं । सौभाग्य से कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन दबंगों को बुलाया और उन्हें कैंपस में छात्रों को डराने–धमकाने के परिणामों की चेतावनी दी । टेली–लॉ योजना की बदौलत श्री राशिद और उनके दोस्तों ने शिक्षा के लिए कॉलेज जाना शुरू कर दिया ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

FIGHTING INJUSTICE

CASE 3:

Ms Kashmira Bhowmick's father had executed an agreement with a builder to construct, within 18 months, a building with four flats in Dhaleswar village in Tripura's Agartala. During this period, Ms Bhowmick's father passed away and the builder asked her to furnish his death certificate and a legal heir certificate. Even though Ms Bhowmick submitted these documents to the builder, she failed to take a receipt for them. In bad faith, the builder pleaded that due to non-furnishing of the requisite documents, there was a delay in the construction of the flats. Ms Bhowmick visited several lawyers who were unable to help her on the grounds that the agreement for construction of the building was concluded between her late father and the builder, and not her.

Ms Bhowmick came across the Tele-law brochure at the CSC and spoke with the VLE Shubhankar Das who suggested that she seek legal advice under the Tele-law scheme. Mr Kushal Deb was the lawyer appointed to her case. During the first consultation, he asked the applicant for the documents pertaining to the property. In her third consultation, he informed her that even though the builder had installed the pillars on the property after levelling the soil, the necessary permissions were not secured from the municipality and the No Objection Certificate (NOC) had not been obtained from the fire and electricity office for the construction of the said building.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

Following the revelation of the builder's disregard for rules, the applicant filed a complaint at the municipal office which issued a show-case notice to the builder. He was also blacklisted by the municipality and his license was cancelled. This allowed Ms Bhowmick to entrust the construction of the building to another builder. Tele-law thus helped Ms Bhowmick get justice against a dishonest builder at a time that she was also grieving the death of her father.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

अन्याय से संघर्ष

मामला 3:

सुश्री कश्मीरा भौमिक के पिता ने त्रिपुरा के अगरथला के ढलेश्वर गाँव में चार फ्लैटों वाली एक ईमारत का निर्माण के लिए बिल्डर के साथ 18 माह का एक समझौता किया था, इस अवधि के दौरान, सुश्री भौमिक के पिता का निधन हो गया और बिल्डर ने उन्हें अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र और एक कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा । यद्यपि सुश्री भौमिक ने इन दस्तावेजों को बिल्डर को सौंप दिया लेकिन वह उनकी रसीद नहीं ले पाई । बिल्डर ने दलील दी कि अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुत न होने के कारण फ्लैटों के निर्माण में देरी हुई । सुश्री भौमिक ने कई वकीलों से संपर्क किया, जिन्होंने इस आधार पर उनकी मदद करने में असमर्थता व्यक्त की कि इमारत के निर्माण का समझौता उनके दिवंगत पिता और बिल्डर के बीच सम्पन्न हुआ था, न कि उनके ।

सुश्री भौमिक को सीएससी में टेली–लॉ ब्रोशर प्राप्त हुआ और उन्होंने ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) शुभंकर दास से बात की जिन्होंने सुझाव दिया कि वह टेली–लॉ योजना के तहत कानूनी सलाह लें । श्री कुशाल देव उनके मामले में वकील नियुक्त किया गया था । परामर्श के दौरान, उन्होंने आवेदक से संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मांगे । अपने तीसरे परामर्श में, उन्होंने उसे सूचित किया कि भले ही बिल्डर ने मिट्टी को समतल करने के बाद संपत्ति पर खंभे लगा दिए हों पर ऐसा करने के लिए नगर पालिका से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है और उक्त भवन के निर्माण के लिए अग्निशमन और बिजली कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिए गए हैं

बिल्डर द्वारा नियमों की अवहेलना किए जाने की बात के प्रकट हो जाने के बाद, आवेदिका ने नगरपालिका कार्यालय में एक याचिका दाखिल की, जिसने बिल्डर को एक शो–केस नोटिस जारी किया । उसे नगरपालिका द्वारा ब्लैकलिस्ट भी किया गया था और उनका लाइसेन्स रद्द कर दिया गया था । इससे सुश्री भौमिक को इमारत के निर्माण का काम दूसरे बिल्डर को सौंपने की अनुमति मिली । इस तरह टेली–लॉ ने सुश्री भौमिक को एक ऐसे बेईमान बिल्डर के खिलाफ न्याय दिलाने में मदद की, जब वह अपने पिता की मृत्यु का शोक मना रही थी ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

FIGHTING INJUSTICE

CASE 4:

Ms Shikha Shrivastav, a resident of Nawabganj village in Uttar Pradesh's Unnao district, found that a toll plaza within a two-kilometre distance of the village centre was collecting toll tax from owners of four-wheelers even though it had been stipulated that those who lived within a five-kilometre range of the toll plaza were exempted from payment. Through the CSC, Ms Shrivastav had known about the Tele-law scheme.

The VLE, Mr Atul Kumar Srivastava, briefed Ms Shrivastav on the provisions of the scheme and recommended that she get legal advice. Mr Shiv, the panel lawyer, told Ms Shrivastav to file a PIL in this regard. The applicant did file a PIL which led to a complete exemption for residents from payment of the toll tax. Tele-law, therefore, helped the community of Nawabganj village overcome illegal tax collection.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 5:

Mr Arbinda Dey is the VLE of Teliamura block in Tripura's Khowai district. He had been caught in an online consumer dispute. As the VLE, Mr Dey was completely aware of the provisions of the Tele-law scheme. He registered his case which was assigned to panel lawyer Kushal Deb. Mr Deb advised the applicant to file a case with the Consumer's Grievance Cell.

He also told the applicant to send an email to Amazon, the online retailer, demanding a refund of the payment or the delivery of a fresh product, failing which the applicant would take legal action. Following this, Mr Dey received a refund within five days. Thanks to Tele-law, Mr Dey could resolve his consumer dispute.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

अन्याय से संघर्ष

मामला 4:

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज गाँव की निवासी सुश्री शिखा श्रीवास्तव ने पाया कि एक टोल प्लाजा जो गाँव से दो किलोमीटर की दूरी पर है, जहां चार–पहिया वाहनों के मालिकों से टोल टैक्स वसूला जा रहा था, हालांकि यह निर्धारित किया गया था कि जो लोग टोल प्लाजा के पाँच किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, उन्हें भुगतान से छूट दी गई है । जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से, सुश्री श्रीवास्तव को टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला।

ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई), श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव ने सुश्री श्रीवास्तव को योजना के प्रावधानों की जानकारी दी और सुझाव दिया कि उन्हें कानूनी सलाह लेनी चाहिए । पैनल वकील श्री शिव ने सुश्री श्रीवास्तव को इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर करने के लिए कहा । आवेदिका ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें टोल टैक्स के भुगतान करने से निवासियों को पूरी छूट मिली । अतः टेली–लॉ ने नवाबगंज गाँव के समुदाय को अवैध वसूली न देने में मदद की।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 5:

श्री अरबिंदा डे त्रिपुरा के खोवाई जिले में टेलियामुरा ब्लॉक के ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) हैं। वह एक ऑनलाइन उपभोक्ता विवाद में फंस गया था । वीएलई के रूप में, श्री डे टेली–लॉ योजना के प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी रखते थे । उन्होंने अपना मामला दर्ज किया जो पैनल वकील कुशाल देब को सौंपा गया था । श्री देब ने आवेदक को उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ में मामला दाखिल करने की सलाह दी।

उन्होंने आवेदक को ऑनलाइन रिटेलर–अमेज़न को एक ई–मेल भेजने के लिए भी कहा, जिसमें भुगतान की वापसी या एक नए उत्पाद की डिलिवरी की मांग की गई हो और जिसमें यह भी उल्लेख हो कि ऐसा न किए जाने पर आवेदक कानूनी कार्रवाई करेगा । इसके बाद, श्री डे को 05 दिनों में भुगतान वापस प्राप्त हो गया । टेली–लॉ के कारण श्री डे अपने उपभोक्ता विवाद को हल कर सकने में समर्थ हो पाए।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 6:

Mr Pran Gopal Debnath lives in Radha Nagar village of Tripura's Agartala. He had previously helped two women from another individual who was threatening to dispossess them of their land. In trying to help the two women, Mr Debnath got into a heated argument with this individual. Offended by this, the individual filed a criminal case against Mr Debnath through his wife, under sections 448, 354B, 506, 325 and 34 of the IPC. The police subsequently came to arrest Mr Debnath.

Mr Debnath knew the VLE Mr Rakesh Deb and discussed the matter with him. The VLE told Mr Debnath to register the case. Panel lawyer Kushal Deb told Mr Debnath to file a counter-case against the individual for criminal trespass and various other provisions. He also told him to try to speak to the individual and his wife through people both parties knew and who could act as mediators.

Following the lawyer's advice, Mr Debnath spoke with the individual but to no avail. Mr Debnath then asked the village elders to intervene. They convinced the original complainant to speak to the panel lawyer who explained to him the seriousness of charges he had brought against Mr Debnath. This convinced the individual to settle the case. Meanwhile the police had already filed a charge sheet in the Judicial Magistrate. The Mr Kushal Deb intervened himself to expedite the proceedings and help Mr Debnath be acquitted on all counts. Tele-law thereby helped an innocent man from falling prey to a fraudulent case.

अन्याय से संघर्ष

मामला 6:

श्री प्राण गोपाल देबनाथ त्रिपुरा के अगरथला के राधार नगर गाँव में रहते हैं। उन्होंने पहले भी एक व्यक्ति से दो महिलाओं की मदद की थी, जो उन्हें उनकी जमीन को खरीदने की धमकी दे रहा था । इन दो महिलाओं की मदद करने की कोशिश में श्री देबनाथ की इस व्यक्ति के साथ गर्मागर्म बहस हो गई । इसकी वजह से, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के माध्यम से श्री देबनाथ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 354ख, 506, 325 और 34 के तहत एक आपराधिक मामला दाखिल किया, बाद में पुलिस श्री देबनाथ को गिरफ्तार करने आई ।

वीएलई श्री राकेश देबनाथ के परिचित थे और उन्होंने उनके साथ मामले पर चर्चा की । वीएलई ने श्री देबनाथ को मामला फाइल करने के लिए कहा । पैनल के वकील कुशाल देब ने श्री देबनाथ से कहा कि वह आपराधिक अतिवार और अन्य विभिन्न प्रावधानों के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ एक काउंटर केस फाइल करें । उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को जानने वाले लोगों के माध्यम से और जो मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हों, उस व्यक्ति से और उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश करें।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

वकील की सलाह पर, श्री देबनाथ ने उस व्यक्ति से बात की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ । तब श्री देबनाथ ने गाँव के बुजुर्गों को हस्तक्षेप करने के लिए कहा । उन्होंने मूल शिकायतकर्ता को पैनल वकील से बात करने के लिए राजी किया, जिन्होंने उसे श्री देबनाथ के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को समझाया । इसने मामले को निपटाने के लिए उस व्यक्ति को आश्वस्त किया । इस बीच पुलिस ने पहले से ही न्यायिक मजिस्ट्रेट में एक आरोप पत्र फाइल कर दिया था । श्री कुशाल देव ने कार्यवाही में तेजी लाने और श्री देबनाथ को सभी मामलों में बरी होने में मदद करने के लिए स्वयं प्रयास किए । इस तरह टेली–लॉ ने एक निर्दोष व्यक्ति को धोखाधड़ी के मामले में शिकार होने से बचाया ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

FIGHTING INJUSTICE

CASE 7:

Ms Mamta Devi lives in Bhanupali village in Rupnagar district in Punjab. Her husband Mr Daler Singh is a carpenter in the village. In September 2019, he had approached immigration agents in Chandigarh for help in processing a work permit for Dubai. In October 2019, Mr Singh was granted a tourist visa and was assured by the agents that at the expiration of the visa, he would be given a work permit. For this, he had paid them Rupees 1.5 lakh. Thereafter, all attempts to contact the immigration agents to inform them of the expiration of visa had failed. At the end of the three months, the Dubai police arrested Mr Singh for overstaying his visa.

Ms Mamta Devi, who remained in her village, learned about the Tele-law scheme through a banner at the CSC. When she visited the VLE Mr Bhupinder Singh, he told her to register a case. Panel lawyer Aksh Basra advised Ms Devi to approach the Ministry of External Affairs who could help get her husband released. She was also told to file a FIR against the immigration agents.

The applicant heeded the advice of her lawyer and approached the Ministry. Within a week, her husband was released by the Dubai police. Mr Daler Singh arrived in India in February 2020 and lodged a complaint at the SSP office. The police have begun investigating the case which was also covered in a local Punjabi newspaper Ajit. By helping Ms Devi understand her options, Tele-law not only helped repatriate an Indian citizen, but also prevented many other innocent people from falling victims to fraudsters.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

अन्याय से संघर्ष

मामला 7:

सुश्री ममता देवी पंजाब में रूपनगर जिले के भानुपाली गाँव में रहती हैं । उनके पति श्री दलेर सिंह गाँव में एक बढ़ई हैं । सितंबर, 2019 में, उन्होंने दुबई के लिए वर्क प्रोसेसिंग में मदद के लिए चंडीगढ़ में इमीग्रेशन एजेंटों से संपर्क से किया था । अक्टूबर, 2019 में, श्री सिंह को एक पर्यटक वीज़ा दिया गया था और इजेंटों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वीजा की समाप्ति पर, उन्हें वर्क परमिट दिलवा दिया जाएगा । इसके लिए उसने उन्हें डेढ़ लाख रुपए का भुगतान किया था।

इसके बाद, इमीग्रेशन एजेंटों की वीज़ा के समाप्ति के बारे में सूचित करने के लिए उनसे संपर्क करने के सभी प्रयास विफल हो गए थे । तीन महीने के अंत में, दुबई पुलिस ने श्री सिंह का उनके वीज़ा से अधिक समय के लिए रहने के लिए गिरफ्तार कर लिया ।

सुश्री ममता देवी, जो अपने गाँव में रह रही थीं, को जन सेवा केंद्र (सीएसी) के एक बैनर के माध्यम से टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । जब उन्होंने ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) श्री भूपेन्द्र सिंह से मुलाकात की, तो उन्होंने मामला दर्ज करने के लिए कहा । पैनल के वकील अक्ष बासरा ने सुश्री देवी को सलाह दी कि वे विदेश मंत्रालय से संपर्क करें, जो उनके पति को रिहा करवाने में मदद कर सके । उसे आप्रवास एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करन के लिए भी कहा गया था ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

आवेदिका ने अपने वकील की सलाह को माना और मंत्रालय से संपर्क किया । एक सप्ताह के भीतर, उसके पति को दुबई पुलिस ने रिहा कर दिया । श्री दलेर सिंह फरवरी, 2020 में भारत पहुंचे और एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज की । पुलिस ने उस मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बारे में स्थानीय पंजाब अखबार–अजीत में भी दिया गया था । सुश्री देवी को उनके विकल्पों को समझने में मदद करके टेली–लॉ ने न केवल एक भारतीय नागरिक को वापस लाने में मदद की, बल्कि कई अन्य निर्दोष लोगों को धोखेबाजों का शिकार होने से भी बचाया ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

FIGHTING INJUSTICE

CASE 8:

Mr Mohan Gogoi is a senior citizen who lives in a house with his son and daughter in Golghat village in Assam. Mr Gogoi's son, Pranjal Gogoi, is an alcoholic who beat his father and sister, and destroyed items in their home. Eventually, Mr Mohan Gogoi left with his daughter to go live with a relative. He came to know about the Tele-law scheme through a banner at the CSC.

The VLE also briefed Mr Gogoi on the scheme and told him to seek legal counsel. Mr Dwipen Sharma, the panel lawyer, advised Mr Gogoi to lodge a FIR against his son at the local police station and urged him to take the matter to the Gram Sabha. Mr Gogoi followed this advice and lodged a complaint which led to his son's arrest. Tele-law helped Mr Gogoi protect himself and his daughter from every-day violence.

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

अन्याय से संघर्ष

मामला 8:

श्री मोहन गोगोई एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो असम के गोलाघाट गांव में अपने बेटे और बेटी के साथ रहते हैं। श्री गोगोई का बेटा प्रांजल गोगोई एक शराबी है जो कि अपने पिता और बहन के साथ मार–पिटाई करता है और उनके घर की मौजूदा वस्तुओं को तोड़–फोड़ देता था । आखिरकार, श्री मोहन गोगोई अपनी बेटी के साथ अपने एक रिश्तेदार के साथ रहने चले गए। उन्हें जन सेवा केंद्र (सीएससी) के बैनर के माध्यम से टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला ।

ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) ने श्री गोगोई को इस योजना के बारे में बताया और उनसे कानूनी सलाह लेने के लिए कहा। पैनल वकील श्री द्विपेन शर्मा ने श्री गोगोई को अपने बेटे के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी और मामले को ग्राम सभा में ले जाने को कहा । श्री गोगोई ने इस सलाह का पालन किया और एक शिकायत दर्ज कराई जिसके कारण उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई।
टेली–कानून ने श्री गोगोई को हर दिन की हिंसा से उन्हें और उनकी बेटी को बचाने में मदद की ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

TELE-LAW IN MEDIA/टेली–लॉ खबरों में

अब कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये लोग अपने गाव में ही दिल्ली के पेनल लायर से क़ानूनी सलाह ले सकेंगे

खंडवा (अजय चंद्रे)। आज सीएससी खंडवा द्वारा जनपद सभागृह खंडवा में पैरा लीगल वालंटियर का प्रशिक्षण हुआ संपन्न, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में टेली लॉ के स्टेट कोऑर्डिनेटर अजय पाल द्वारा खंडवा जिले के पैरा लीगल वालंटियर को प्रशिक्षण दिया गया।

साथ ही इस अवसर पर सीएससी के जोनल ऑफिसर लोकेश जोशी द्वारा टेली लॉ की महत्ता और भविष्य में सीएससी के माध्यम से ग्रामीणों को मिलने वाली डिजिटल सेवाओं के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई,अब शीघ्र प्रदेश के 8 पिछड़े जिलो के आम नागरिक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने गाँव में बैठे बैठे दिल्ली में उपस्थित पैनल लायर से सीधे क़ानूनी सलाह ले सकेंगे।यह सम्भव हुवा है केंद्रीय न्याय विभाग के द्वारा शुरू की गई टेली ला योजना के माध्यम से। टेली लॉ योजना के तहत खंडवा में भी 389 ग्राहक सेवा केंद्र खोले गए है।जहा एक, एक सीएससी सेंटर खोले गए है।वही प्रत्येक सेंटर द्वारा टेली लॉ योजना अंतर्गत पी एल वी नियुक्त किया गया है इन्हे ही योजना का प्रचार प्रसार करना है और हितग्राही या जरुरत मंद व्यक्ति को कामन सर्विस सेंटर या स्वयं के मोबाइल पर टेली ला स्किम की साईट एवम् पोर्टल पर पंजीकृत कर उचित सलाह हेतु पेनल लायर का नाम एवम् पसंदीदा टाइम चयन करना है बाद में तय दिनांक एवम् समय पर कामन सर्विस सेंटर पर जाकर हितग्राही तय समय पर बुक किये गए पेनल लायर से 20 मिनट बात कर सकेगा।मतलब कानुनी सलाह ले सकेगा।इसके लिए 12 प्रकार की केटेगरी वाले लोगो को यह सेवा नि:शुल्क प्रदान की जायेगी, शेष लोगो को नाममात्र का 30 रुपये शुल्क लगेगा।आज के इस कार्यक्रम में सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुरजीत राय, प्रकाश गर्ग, सीएससी सोसायटी के अध्यक्ष वैभव जोशी, उपाध्यक्ष आशीष दसोंदे, सचिव मोहन रोकड़े द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया।

यह संभव हुवा है ,क़ानून एवम् न्याय विभाग के द्वारा शुरू की गई टेली ला योजना से

काकोरी के पलिया में टेली लॉ कैम्प का आयोजन

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के काकोरी ब्लॉक के पलिया ग्राम में टेली लॉ कैम्प का आयोजन किया गया जिस डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की विधिक सहायता समिति ,पैरा कानूनी वालन्टियर्स ,राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सीएससी के सहयोग से विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया। डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एस. के. भटनागर और चेयरमेन विधिक सहायता समिति, प्रो. मनीष सिंह ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमति ज्योतिका जी उप सचिव भारती जी.सी एस सी के जिला कॉर्डिनेटर विभाष श्रीवास्तव, पी एल वी संगीत,गोपि लाल, राकेश, एवं सी एस सी संस्थापक नीरज सैनी, राज किशोर पासी जी भी शिविर में उपस्थित रहे।

शिविर के आस पास के तीन गांवों के लोगों ने आकर अपनी दुविधाओं के बारे में बताया और शिविर में मौजूद प्राधिकरणों से सहायता प्राप्त करी। शिविर में कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी, पंचायत के सहायक अधिकारी, बिजली विभाग, स्वधर्म(गैर सरकारी संस्थान) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील मोहम्मद नदीम,अनिल कुमार एवं प्रीति ने सभी लोगो को टेली लॉ की सुविधाओं के बारे में बताया ।चौधरी खेड़ा के पास के चार सरकारी विद्यालयों में बाल यौन शोषण कि कार्यशाला जिसमें लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण के अधिनियम के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया।इस आयोजन में सी एस सी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया ।इस आयोजन में गांव के सैकड़ों लोगो ने आकर अपनी अपनी समस्या के बारे बताया।

अच्छी खबर • अधिवक्ताओं का एक पैनल विधिक सलाह देता है

प्रज्ञा केंद्रों पर ऑनलाइन मिल रही है कानूनी सलाह, 19 जिलों में होगी सुविधा

- एससी, एसटी, महिला व अवयस्कों के लिए मुफ्त होगी सुविधा
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करायी जाती है

तैनात किये जा रहे हैं पारा लीगल वालंटियर

ಯಾದಗಿರಿ

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ

February 29, 2020 / Basavaraj K

61 Views

सीएससी केंद्र पर ऑनलाइन मिलेगी वकीलों की सुविधा

शेखपुरा| सदर प्रखंड के अवगिल के सीएससी सेंटर में टेली लॉ योजना को लेकर कार्यशाला हुई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लोगों को ऑनलाइन सुविधा देने के उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाया जा रहा हैं। इसी के तहत आईटी और कानून मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जिसमें सीएससी के तहत ग्रामीणों को घर बैठे विभिन्न तरह की जानकारी और वकीलों की कानूनी सलाह मिलेगी। पहले यह सर्विस सीएससी अवगिल में रंजीत कुमार हरित्र के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया जा रहा था। अब इसको विस्तार करके सभी सीएससी सेंटर में लाइव कर दिया गया है। कार्यशाला आयोजन में टेली लॉ स्टेट हेड राहुल कुमार सिन्हा एवं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आरती सिंह एवं अभिषेक सहाय ने टेली लॉ योजना का विस्तृत जानकारी दी। सरकार ने न्याय को आसान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए टेली लॉ योजना की शुरुआत की है। कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

RESOLUTION OF PROPERTY DISPUTES

संपत्ति मामलों का समाधान

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

RESOLUTION OF PROPERTY DISPUTES

CASE 1:

In 2014, Mr Madan Mohan Karmarkar bought a piece of land in Bilaspara, a town in Dhubri district of Assam. At that time, even though the sale deed had been signed, Mr Karmarkar had not been given possession of the land. After two months of the purchase, the seller passed away and Mr Karmarkar, legally the owner of the land, was still not in possession of it.

Mr Karmarkar learned about Tele-law through a banner at the CSC. Subsequently, he registered his case. Mr Abhijit Deka was assigned to his case. He advised the applicant that on the basis of the sale deed signed between the purchaser and the seller, Mr Karmarkar could file a civil suit against the legal heir of the deceased. He could also file recovery of Khas possession in the district court. Alternatively, Mr Karmarkar could file for the cancellation of the deed and ask for a refund of the amount he paid to buy the land, plus interest generated over the years. Mr Karmarkar followed the advice of the lawyer and set the wheels in motion. Tele-law helped him explore his options and decide the best course of action.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

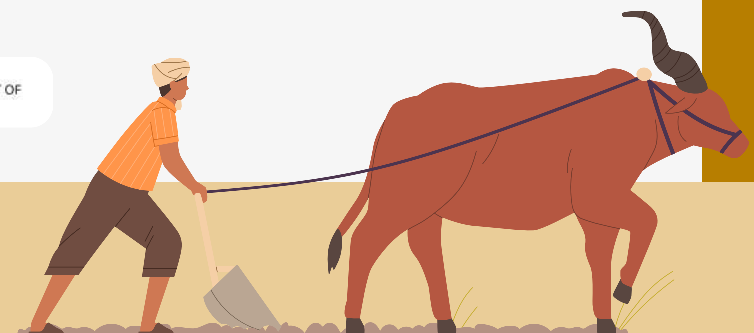

CASE 2:

Ms Tejiya Devi belongs to Dondo Simar village in Giridh district of Jharkhand. A poor widow, Ms Devi was dispossessed of her land by her relatives. She tried to resolve the matter peacefully and amicably, but her efforts only led to more ill-treatment at the hands of her relatives. Ms Devi came to know about the Tele-law scheme when she saw a banner outside her local CSC.

She then contacted the PLV Mr Sarif Ansari who told her to register her case. Panel lawyer Vikas advised the applicant to visit the registrar's office with land documents that prove she was the only child. This would allow her to get the land registered under her own name. Following the lawyer's advice, Ms Devi met with the registrar who took the appropriate steps to get the land mutated. Ms Devi is now the legal owner, all because Tele-law lay the legal process before her.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

संपत्ति मामलों का समाधान

मामला 1:

2014 में, श्री मदन मोहन कर्माकर ने असम के धुबरी जिले के एक शहर विलासपारा में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा । उस समय, बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद, श्री कर्मारकर को भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया था । खरीद के दो महीने बाद, विक्रेता का निधन हो गया और यद्यपि श्री कर्माकर कानूनी रूप से भूमि के मालिक थे, फिर भी इस पर उनका कब्जा नहीं था ।

श्री कर्माकर को जन सेवा केंद्र (सीएससी) के एक बैनर के माध्यम से टेली–लॉ के बारे में पता चला इसके बाद, उन्होंने आवेदक को सलाह दी कि क्रेता और विक्रेता के बीच हस्ताक्षरित विक्रय विलेख के आधार पर, श्री कर्माकर मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं । वह जिला अदालत में उस कब्जे को प्राप्त करने के लिए मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं । वैकल्पिक रूप से, श्री कर्माकर विलेख को रद्द करने के लिए और भूमि खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि की ब्याज सहित वापसी के लिए कह सकते हैं । श्री कर्माकर ने वकील की सलाह को माना और कर्माकर शुरू की। टेली–लॉ ने उन्हें अपने विकल्पों का पता लगाने और कार्रवाई के सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद की ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

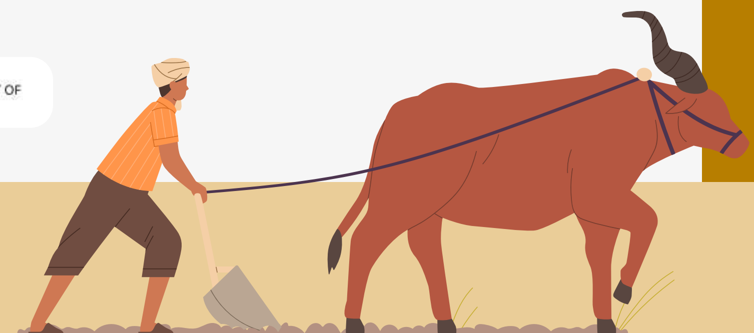

मामला 2:

सुश्री तेजिया देवी झारखंड के गिरीडीह जिले के डोंडो सिमर गाँव से ताल्लुक रखती है । गरीब विधवा सुश्री देवी को उसके रिश्तेदारों ने उसकी जमीन से निकाल दिया । उसने मामले को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद उसके रिशतेदारों ने उसके साथ और अधिक दुर्व्यवहार किया । सुश्री देवी को टेली–लॉ योजना के बारे में तब पता चला जब उन्होने अपने स्थानीय सीएससी के बाहर एक बैनर लगा देखा ।

इसके बाद उन्होंने अर्ध विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) श्री सरीफ अंसारी से संपर्क किया जिन्होंने उन्हें अपना मामला दर्ज करने के लिए कहा । पैनल वकील श्री विकास ने आवेदिका को उन दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने की सलाह दी, जिनसे यह पता चलता हो कि वे ही अपने माता पिता की एकमात्र संतान हैं । इससे वह जमीन को अपने नाम से पंजीकृत करवा सकेंगी। वकील की सलाह के बाद, सुश्री देवी ने रजिस्ट्रार से मुलाकात की, जिन्होंने भूमि के उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के लिए उचित कदम उठाए । सुश्री देवी आज जमीन की कानूनी मालिक हैं । यह तभी संभव हो पाया जब टेली–लॉ ने उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताया।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

RESOLUTION OF PROPERTY DISPUTES

CASE 3:

Ms Kanika and her neighbour were in dispute over land demarcation in their home village Palashbari in Kamrup district of Assam. Ms Kanika came to know about the Tele-law scheme during an awareness camp at the Panchayat level. She approached the VLE Mr Tapash Choudhary who advised her to register her complaint.

Mr Dwipen Sharma, the panel lawyer, advised Ms Kanika to submit an application to the Circle Officer for proper demarcation of her plot and then to establish a permanent post in the boundary thus demarcated. The applicant heeded the advice and the case has since been resolved amicably. Tele-law, once again, prevented acrimony from spreading between two neighbours.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 4:

A few years ago, Mr Azizur Rahman bought a piece of land in Sernagar village of Assam's Dhubri district, from a person who was known to him. More recently, when he set about constructing a house on his property, he realised that the house was not connected to any road. He felt cheated and worried whether he had made a mistake in buying the property.

Mr Rahman knew about the Tele-law scheme because the VLE Mr Zaman had earlier organized a public gathering in the village during which he told the people about this scheme. Mr Rahman decided to register his case to which panel lawyer Abhijit Deka was assigned. He guided the applicant on the principles of "buyer beware," wherein the purchasing party must always acquaint themselves on all aspects of the property they intend to purchase. Mr Rahman was told that at the moment he could either ask his neighbour to allow him to make an exit lane from his property or buy from this neighbour the land that would allow him to make one on his own.

Mr Rahman was also told that he could, if he wanted, file an application before the Gram Pradhan for amicable settlement of the issue or file a FIR against the seller for having cheated him. Mr Rahman chose to ask the Gram Pradhan to allot him an outer lane that would connect his house to the main road. Tele-law, therefore, prevented further distress and confusion in Mr Rahman's life.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

संपत्ति मामलों का समाधान

मामला 3:

सुश्री कनिका और उनके पड़ोसी के बीच असम के कामरूप जिले में उनके गृह ग्राम पलाशबाड़ी में भूमि सीमांकन के विवाद था । सुश्री कनिका को पंचायत स्तर पर एक जागरूकता शिविर के दौरान टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । उन्होंने ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) श्री तपश चौधरी से संपर्क किया जिन्होंने उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने की सलाह दी ।

पैनल अधिवक्ता श्री द्विपेन शर्मा ने सुश्री कनिका को सलाह दी कि वह अपने प्लॉट के उचित सीमांकन के लिए सर्किल ऑफिसर को एक आवेदन प्रस्तुत करें और फिर सीमारेखा में एक स्थायी पोस्ट स्थापित करें । आवेदिका ने सलाह को माना और मामले का निपटान हो गया है । टेली–लॉ की वजह से दो पड़ोसियों के बीच संबंधों में कड़वाहट आने से बचा जा सका ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 4:

कुछ साल पहले, श्री अजीजूर रहमान ने असम के धुबरी जिले के सरनागर गाँव में एक ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीदी थी, जिसे वे जानते थे । हाल ही में जब उन्होंने अपनी संपत्ति पर एक घर बनाने का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, तो उन्होंने महसूस किया कि वह घर किसी भी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है । उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है और उन्हें चिंता होने लगी कि क्या उसने संपत्ति खरीदने में गलती की है।

श्री रहमान को टेली–लॉ योजना के बारे में पता था क्योंकि कुछ समय पहले वीएलई श्री जमान ने गाँव में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था, जिसके दौरान उन्होंने लोगों को इस योजना के बारे में बताया था । श्री रहमान ने अपना मामला दर्ज करने का फैसला किया, जिसके लिए पैनल वकील अभिजीत डेका को नियुक्त किया गया था। उन्होंने आवेदक को 'खरीददार सावधान' के सिद्धांतों के बारे में बताया जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि खरीददार पक्ष को हमेशा स्वयं उस संपत्ति के सभी पहलों से परिचित होना चाहिए जिसे वे खरीदना चाहते हैं । श्री रहमान को बताया गया था कि इस समय वह या तो अपने पड़ोसी से कह सकते हैं कि वह उसे अपनी संपत्ति में से एक एक्जिट लेन बनाने की इजाजत दे अथवा वे अपने इस पड़ोसी से भूमि खरीदें ताकि वे स्वयं उस पर एक निकास मार्ग बना सके।

श्री रहमान को यह भी कहा गया था कि अगर वह चाहें, तो इस मुद्दे के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए ग्राम प्रधान को एक आवेदन दे सकते हैं या विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं । रहमान ने ग्राम प्रधान से एक बाहरी गली आवंटित करने के लिए कहा जो उनके घर को मुख्य सड़क से जोड़ेगी । इस प्रकार टेली–लॉ के कारण श्री रहमान का दुख और भ्रम की स्थिति से बचाव हुआ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

RESOLUTION OF PROPERTY DISPUTES

CASE 5:

Ms Manimegalai is from Alagarthevankotta village in Tamil Nadu's Ramanathapuram district. After the demise of her grandfather, her brothers denied Ms Manimegalai her due share in the ancestral property. Ms Manimegalai approached the CSC and was advised by the VLE to register her case.

The panel lawyer Bala Kumar explained to the applicant that under the Hindu Succession Act, 1956, and amendments to it in 2005, she had a legal right to ancestral inheritance, irrespective of her marital status. Mr Kumar also explained to her that if the property in question had been divided amongst her brothers, denying her the due share, Ms Manimegalai could send a legal notice or file a suit for partition in the civil court.

For now, Ms Mani has decided to negotiate the matter with her family and resort to legal action, if required. Tele-law helped Ms Manimegalai understand that there was no need for her to feel helpless, and that her rights were well protected under the law.

CASE 6:

Mr Rajeev Kumar is a resident of Saplog village in Chamba district of Himachal Pradesh. Here, he has a share in an ancestral property which he wanted to partition between himself and his uncle (his father's younger brother). However, his uncle was keen to partition the property into three parts, one each for himself and his two sons, thereby denying Mr Kumar his fair share. Mr Kumar was keen to resolve this issue amicably.

Mr Kumar learned of the Tele-law scheme from a friend with whom he had discussed this problem. He decided to register his case. Panel lawyer Aksh Basra advised the applicant that an amicable solution to the equal partitioning of property requires understanding among the family members. He was also told that he could file a civil suit in court. Thereafter, Mr Kumar decided to seek mutual resolution to the issue. Tele-law enabled Mr Kumar to understand his options, allowing him to make the decisions best suited to him.

संपत्ति मामलों का समाधान

मामला 5:

सुश्री मणिमेगलाई तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के अलगर्थेवकोटा गाँव से हैं । उसके दादा के निधन के बाद, उसके भाइयों ने सुश्री मानिमेगलई को पैतृक संपत्ति में उसका उचित हिस्सा देने से इनकार कर दिया । सुश्री मणिमेगलई ने जन सेवा केंद्र (सीएससी) से संपर्क किया और ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) द्वारा उसे मामला दर्ज करने की सलाह दी गई।

पैनल के वकील बाला कुमार ने आवेदिका को समझाया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत और 2005 में इसमें किए गए संशोधन के बाद, उसकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद उसका पैतृक विरासत का कानूनी अधिकार बनाता है । श्री कुमार ने उन्हें यह भी समझाया कि यदि विचाराधीन संपत्ति को उनके भाइयों के बीच उन्हें उनका उचित हिस्सा देने से इनकार करते हुए विभाजित कर दी जाती है । सुश्री मणिमेगालई एक कानूनी नोटिस भेज सकती है या सिविल कोर्ट में विभाजन के लिए मुकदमा दायर कर सकती है।

अभी के लिए, सुश्री मनी ने अपने परिवार के साथ इस मामले पर बातचीत करने और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने का फैसला किया है । टेली–लॉ ने सुश्री मणिमेगलाई को यह समझने में मदद की कि उन्हें असहाय महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कि कानून के तहत उनके अधिकारों से अच्छी तरह से संरक्षित हैं ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 6:

श्री राजीव कुमार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सपोल गाँव के निवासी हैं । यहाँ, पैतृक संपत्ति में उनका एक हिस्सा है जिसे वह अपने और पाने चारा (अपने पिता के छोटे भाई) के बीच विभाजन करना चाहते थे । हालांकि, उनके चाचा संपत्ति को तीन भागों में विभाजित करने के इच्छुक थे, एक भाग अपने लिए और दो भाग अपने दो बेटों के लिए, जिससे श्री कुमार अपनी उचित हिस्सेदारी से वंचित हो रहे थे । श्री कुमार इस मुद्दे को सौहार्दपूर्वक हल करने के लिए उत्सुक थे ।

श्री कुमार के किसी मित्र से टेली–लॉ योजना के बारे में बताया और बैठक की, जिसके साथ उन्होंने इस समस्या पर चर्चा की तथा अपना मामला दर्ज करने का फैसला किया । पैनल के वकील अक्ष बासरा ने आवेदक को सलाह दी कि संपत्ति के बराबर विभाजन के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए परिवार के सदस्यों के बीच समझ की आवश्यकता होती है । उनसे यह भी कहा गया कि वह अदालत में दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं । तत्पश्चात, श्री कुमार ने इस मुद्दे को आपसी रूप से सुलझाने का निर्णय लिया । टेली–लॉ ने श्री कुमार को उनके विकल्पों को समझने में सक्षम बनाया, जिससे उन्हें निर्णय लेने में मदद मिली ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

RESOLUTION OF PROPERTY DISPUTES

CASE 7:

In Kucheipadar village of Odisha's Rayagada district, a bone of contention developed between two neighbours who accused each other of illegally encroaching the other's land. One of these two neighbours, Mr Pravat Kumar Nayak, had visited the local CSC to avail a certificate of residence when he learned about the Tele-law scheme. The VLE, Mr Satish Hial, then explained the scheme to him and suggested that he register his case.

The panel lawyer was Mr Amit Kumar Barrick who told Mr Nayak to approach the Amin who could measure the entire land based on government maps and decide who was the actual owner of the land. If disagreement ensued, the applicant could file a suit for possession of land. Mr Nayak subsequently called the Amin who found that the land belonged to Mr Nayak's neighbour. Mr Nayak accepted the Amin's finding and his neighbour was able to construct a boundary wall around the land. Tele-law thus helped amicably resolve neighbourly issues.

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

संपत्ति मामलों का समाधान

मामला 7:

ओडिशा के रायगडा जिले के कुचेईपदर गांव में, दो पड़ोसियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिन्होंने एक दूसरे पर अवैध रूप से एक दूसरे की भूमि का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। इन दो पड़ोसियों में से एक, श्री पर्वत कुमार नायक आवास प्रमाण पत्र के संबंध में स्थानीय सीएससी गए थे, तब उन्हें वह टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । वीएलई, श्री सतीश हियाल ने तब उन्हें इस योजना के बारे में समझाया और सुझाव दिया कि वे अपना मामला दर्ज करें ।

पैनल के वकील श्री अमित कुमार बैरिक थे, जिन्होंने श्री नायक से कहा कि वे अमीन से संपर्क करें जो सरकारी नक्शे के आधार पर पूरी जमीन को मान सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन था । यदि असहमति है, तो आवेदक भूमि पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर कर सकता है । तदन्तर, श्री नायक ने अमीन को फोन किया, जिन्होंने पाया की यह भूमि श्री नायक के पडीसी की थी । श्री नायक ने अमीन के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और उसका पड़ोसी भूमि के चारों ओर एक चारदीवारी का निर्माण कर पाया इस प्रकार टेली–लॉ ने सौहार्दपूर्वक पड़ोसियों के मुद्दों को सुलझाने में मदद की ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

TELE-LAW IN MEDIA/टेली–लॉ खबरों में

प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से दी जायेगी निःशुल्क कानूनी सहायता

खूंटी/संवाददाता : टेली लॉ के अंतर्गत खूंटी जिला के चयनित पांच प्रज्ञा केंद्र के संचालकों को परीक्षण दिया गया। ज्ञात हो टेली लॉ के अंतंगत गांव व कस्बों के प्रज्ञा केंद्र मे निःशुल्क कानूनी सलाह दी जाती है। इसे मुख्य रूप से भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। परीक्षण पाने वालों में तोरपा ब्लॉक से कुणाल भगत, तपकरा से अरमान तोपनो, कर्रा से मोहन दास, रानियां से दामोदर दास, मुरहू से अमर कुमार तथा अड़की से चमर पुराण का चयन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा टेली लॉ लांच की गयी है, ताकि न्यायालयों में बढ़ रहे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। केंद्र सरकार की मदद से विधि विभाग ने पंचायतों में 22,613 कॉमन सर्विस सेंटर पर जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह दिए जाने की व्यवस्था की है। इसके लिए विभाग ने वकीलों की मदद लेने की स्वीकृति दी है। इस माह के दूसरे पखवारे से कॉमन सर्विस सेंटर पर कैंप लगाए जाएंगे। टेली लॉ खूंटी में जिला शिक्षा सलाहकार शशि कांत पंडित की देख रेख मे कराया जाएगा। टेली लॉ पोर्टल कानूनी मदद पाने का एक आसान तरीका होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से सरकार टेली लॉ पोर्टल लांच करेगी ताकि न्यायालयों में बढ़ रहे मुकदमे के बोझ को कम किया जा सके। इस माह के दूसरे पखवारे से कॉमन सर्विस सेंटर पर कैंप लगाए जाएंगे। विधि विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस साल एनआइसी की मदद से टेली लॉ नाम का एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जो सभी कॉमन सर्विस सेंटरों सीएससी पर उपलब्ध होगा। यह पोर्टल प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्मों की सहायता से लोगों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा। इसके अलावा लॉ स्कूल क्लीनिकों, जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों, स्वयं सेवा प्रदाताओं और कानूनी सहायता और अधिकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी सीएससी से जोड़ा जाएगा।

ఉచిత న్యాయసేవపై అవగాహన

డిజిటల్ తరగతుల్లో ఉత్తీర్ణులైన అంగన్‌వాడీ టీచర్లు

జూలూరుపాడు: మాచినేనిపేటతండా గ్రామ పంచాయతీ పెద్దతండా ప్రధాన అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (సీఎస్‌సీ) వారి ఆధ్వర్యంలో గురువారం అంగన్‌వాడీ టీచర్లకు ఉచిత న్యాయ సేవా కార్యక్రమంపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (సీఎస్‌సీ) జిల్లా మేనేజర్ అవలూరి శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ... కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా ఉచిత న్యాయ సేవా కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టిందని, దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పారు. డిజిటల్ సాక్షర అభియాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా జూలూరుపాడు సీఎస్‌సీలో డిజిటల్ తరగతుల్లో శిక్షణ పొంది ఉత్తీర్ణులైన అంగన్‌వాటీ టీచర్లకు సీఎస్‌సీ జిల్లా మేనేజర్ శ్రీనివాసరెడ్డి సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ లావుడ్యా భారతి, ఎంపీటీసీ సభ్యురాలు బానోత్ నీల, జూలూరుపాడు సీఎస్‌సీ నిర్వాహకుడు చొప్పకట్ల చంద్రశేఖర్‌శర్మ, అంగన్‌వాటీ టీచర్లు బి.లలిత పాల్గొన్నారు.

लोकमित्र केंद्रों में ऑनलाइन विधिक सेवा शुरू

संवाद सहयोगी, सलूणी : एक छत के नीचे सभी सुविधाएं देने वाले सीएससी के लोकमित्र केंद्रों में अब ऑनलाइन विधिक सेवा भी शुरू कर दी हैं। इसके माध्यम से एससी, एसटी, महिला व अव्यस्क को निशुल्क कानूनी सलाह दी जाएगी, जबकि अन्य से 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत किसी भी मामले में कोई भी कानूनी सलाह ले सकता है। यह सुविधा लोकमित्र केंद्रों में शुरू कर दी है। टेली लॉ सर्विस के तहत सेवा के इच्छुक व्यक्ति की लोकमित्र केंद्रों द्वारा फोन व वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करवाई जाती है। पूरे मामले की जानकारी लेकर अधिवक्ताओं का एक पैनल व्यक्ति को विधिक सलाह देता है। सीएससी लोकमित्र केंद्र के जिला प्रबंधक काकू कपूर ने बताया जिले के सभी लोकमित्र केंद्रों में यह सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायतों में पैरा लीगल स्वयंसेवी भी तैनात कर दिए हैं। ये स्वयंसेवी गावं में लोगों को इस सुविधा की जानकारी देकर मामलों को लोकमित्र केंद्र तक लाएंगे ताकि लोगों को विधिक सेवा का लाभ मिल सके।

राहत : टेली ला योजना के तहत निःशुल्क वीडियो कालिंग कर अधिकृत वकील से ले सकते हैं सलाह

सामान्य सेवा केंद्रों में अब मिलेगी कानूनी जानकारी

नवभारत रिपोर्टर | दुर्ग.
www.navbharat.org

सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) में समय के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सेवाएं जुड़ती जा रही है. इसी क्रम में अब सीएससी के माध्यम से कानूनी जनकारी भी ले सकते हैं. टेली ला योजना के तहत सीएससी संचालक वीएलई निःशुल्क केस रजिस्टर इसके पश्चात वीडियो कालिंग से सीएससी द्वारा अधिकृत वकील से निःशुल्क कानूनी जानकारी या सलाह प्राप्त कर सकते हैं.

सीएससी मैनेजर अवधेश साहू के अनुसार सामान्य कानूनी जानकारी भी टेली ला के तहत सीएससी के माध्यम से हासिल की जा सकती है. इसके लिए जो भी व्यक्ति जानकारी हासिल करना चाहते हैं. वह सीएससी में जाकर निःशुल्क केस रजिस्टर कराएगा इसके पश्चात वीएलई उक्त व्यक्ति का वीडियो काल के माध्यम से अधिकृत वकील से बात कराएंगे. वीएलई को योजना के तहत प्रति वीडियो कालिंग उनकी सीएससी वालेट में 30 रुपए मिलेगा.

टेली ला से इस प्रकार के प्रश्नों के संबंध में ले सकते हैं जानकारी- टेली ला योजना के तहत इस प्रकार के प्रश्नों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. दहेज प्रताड़ना की शिकायत कहां और कैसे करे इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसी प्रकार घरेलू विवाद संबंधी सुझाव एवं जानकारी, महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा से बचाव एवं उपचार, महिलाओं बच्चे तथा बच्चों के भरण पोषण का अधिकार, यौन अपराध से बचाव उपचार तथा सुरक्षा, जमीन-जायदाद व बटवारा संबंधी

शेष पेज 6 पर

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

RELIEF TO THE COVID DISTRESSED

कोरोना वायरस
दुखदायी है

RELIEF TO THE COVID DISTRESSED

CASE 1:

Mr Patras used to work as a munshi at an advocate's office at his home village of Dhun in Tarntaran district of Punjab. Unemployment during the coronavirus lockdown further diminished Mr Patras's already meagre savings. Under the pretext of the lockdown, his employer stopped paying him. Disillusioned, Mr Patras approached the VLE where he was advised to register his case and consult with a panel lawyer.

Aksh Basra was assigned the case. He advised the applicant to request his employer to give him a portion of his salary. The applicant subsequently agreed to approach his employer amicably. The rapid intervention using Tele-law helped Mr Patras avoid penury and distress in the middle of a pandemic.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 2:

Mr Vaseem Ahmad Wani resides in Pulwama district's Hardumier village in Jammu and Kashmir. In April, as she entered the late stages of her pregnancy, Mr Wani's wife developed complications that necessitated visits to hospitals and consultations with specialists. However, hospitals in the couples' neighbourhood were being converted into Covid-19 facilities and transportation facilities had been stopped because of the spread of the virus. Since they had no mode of conveyance themselves, the couple was very worried and wanted to know more about the process for obtaining a pass for movement and availing medical facilities.

The PLV of Mr Wani's village had previously visited anganwadi centres and other public health establishments to create awareness around the Tele-law scheme. Mr Wani, therefore, knew of the scheme and decided to register his case. The panel lawyer Ms Suhaila Ali informed the couple about the free emergency ambulance services. They were also told that the government had mandated guidelines for the treatment and care of pregnant women. In addition, if the applicant's wife required special treatment, she could be referred for treatment at government health centres. The applicant was also advised, given the absence of transportation, to approach the chief medical officer (CMO). The Tele-law scheme helped the applicant understand the provisions of the government so that he could phone the CMO and benefit from ambulance services and necessary medical services provided by the health centre.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

कोरोना वायरस दुखदायी है

मामला 1:

श्री पत्रस पंजाब के तरनतारण जिले में अपने गाँव ध्रून में एक वकील के कार्यालय में मुंशी के रूप में काम करते थे । कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी ने श्री पत्रस की पहले से ही अल्प बचत को कम कर दिया । लॉकडाउन के बहाने, उसके नियोक्ता ने उन्हें भुगतान करना बंद कर दिया । निराश होकर, श्री पत्रस ने वीएलई से संपर्क किया जहां उन्हें अपना मामला दर्ज करने और एक पैनल वकील के साथ परामर्श करने की सलाह दी गई ।

अक्ष बासरा को यह मामला सौंपा गया । उन्होंने आवेदक को अपने नियोक्ता से यह अनुरोध करने को कहा कि उन्हें उनके वेतन का एक हिस्सा दे । आवेदक बाद में अपने नियोक्ता से सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करने पर सहमत हो गया । टेली–लॉ के उपयोग के कारण श्री पत्रस को महामारी के बीच में त्रासदी और संकट से बचने में मदद मिली ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 2:

श्री वसीम अहमद वानी पुलवामा जिले के जम्मू और कश्मीर के हरदुमियर गाँव में रहते हैं । अप्रैल में जब उनकी पत्नी ने अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में प्रवेश किया तो उन्हें गर्भावस्था संबंधी कुछ जटिलताएँ पैदा हो गई जिसकी वजह से उनका अस्पताल जाना और विशेषज्ञों के परामर्श करना आवश्यक हो गया था ।
चूंकि, उनके पड़ोस के अस्पतालों को कोविड–19 सुविधाओं में परिवर्तन किया जा रहा था और वायरस फैलाने के कारण परिवहन सुविधाओं को रोक दिया गया था । चूंकि उनके पास अपना कोई वाहन नहीं था इसलिए दंपति बहुत चिंतित थे और वे एक पास प्राप्त करने और चिकित्सक सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानना चाहते थे ।

श्री वानी के गाँव के पीएलवी ने टेली–लॉ योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आगंवाड़ी केन्द्रों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का कुछ समय पूर्व दौरा किया था । इसलिए, श्री वानी को इस योजना का पता था और उन्होंने अपना मामला दर्ज करने का फैसला किया । पैनल की वकील सुश्री सूहीला अली ने दंपति को मुफ्त आपातकालीन एंबुलेंस सेवाओं के बारे में बताया उन्हें यह भी बताया गया कि सरकार ने गर्भवती महिलाओं के इलाज और देखभाल के लिए दिशा–निर्देश दिए गए इसके अलावा, यदि आवेदक की पत्नी को विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, तो उसे सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज के लिए भेजा जा सकता है । परिवहन की सुविधा न होने के कारण आवेदक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से संपर्क करने की भी सलाह दी गई थी । टेली–लॉ योजना ने आवेदक को सरकार के प्रावधानों को समझने में मदद की, ताकि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन पर संपर्क कर सके और वह एंबुलेंस सेवाओं और स्वस्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से लाभ ले सके ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

RELIEF TO THE COVID DISTRESSED

CASE 3:

Mr Samrat Sengupta lives in a rented accommodation in Borjorai village in Hailakandi district of Assam. In April, because of the lockdown, Mr Sengupta sought advice on guidelines for relaxation or deduction in his monthly rent. He learned about the Tele-law scheme through a banner displayed by Mr Soumen Sen Gupta, the VLE, at the local CSC. He registered his case to which panel lawyer Dwipen Sharma was appointed. He explained to the applicant that although the state government had issued an advisory to all landowners to avoid or reduce rent in April, it was not mandatory for them to do so.

The applicant was advised to amicably discuss the matter with his landlord. It was later learned that the house-owner accepted 50 percent of the monthly rent for April, in keeping with the government advisory. Thanks to the Tele-law, Mr Sengupta could worry about one less thing in this pandemic.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 4:

In Hardumier village of Jammu and Kashmir's Pulwama district, Mr Sheikh Asif Gulzar was unable to procure masks and other essential items like ration, fuel and important medications to help him and his family tide over the coronavirus pandemic. He also noticed that other residents faced similar shortages. They did not even have enough means to make the masks at home. Despite reporting this to the village sarpanch, no steps were taken.

Mr Gulzar got to know about the Tele-law scheme in a door-to-door campaign organised by the PLV. On approaching the CDC, Mr Gul was advised by the VLE Mr Ghulam Sheikh to register his case. Ms Suhaila Ali was the panel lawyer appointed to the case. She advised the applicant to approach the office of the deputy commissioner (DC) and explain to him the difficulties villagers were experiencing. Following the advice, the applicant approached the DC's office who ensured that masks and other essentials were provided to him and other villagers. Information disseminated under the Tele-law scheme helped Mr Gulzar to care for his entire village.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

कोरोना वायरस दुखदायी है

मामला 3:

श्री सम्राट सेनगुप्ता असम के हैलाकांडी जिले में बोरजोरई गाँव में किराए के मकान में रहते हैं । अप्रैल में, लॉकडाउन के कारण, श्री सेनगुप्ता ने अपने मासिक किराए में छूट या कटौती के लिए दिशानिर्देशों पर सलाह मांगी उन्हें स्थानीय सीएससी में वीएलई श्री सौमेन सेनगुप्ता द्वारा प्रदर्शित बैनर के माध्यम से टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । उन्होंने अपना मामला दर्ज करवाया जिसमें पैनल के वकील द्विपेन शर्मा को नियुक्त किया गया था । पैनल वकील ने आवेदक को समझाया कि यद्यपि राज्य सरकार ने अप्रैल में किराए से बचाने या कम करने के लिए सभी भूस्वामियों को एक सलाह जारी की है, लेकिन ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है ।

आवेदक को सलाह दी गई कि वह अपने मकान मालिक के साथ इस विषय पर चर्चा करें । बाद में पता चला कि मकान–मालिक ने सरकारी सलाह के अनुसार अप्रैल के लिए 50 प्रतिशत मासिक किराए लेना स्वीकार कर लिया है टेली–लॉ की बदौलत, श्री सेनगुप्ता की इस महामारी में कम से कम एक चिंता कम हो गई ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 4:

जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के हरदुमियर गांव में, श्री शेख आसिफ गुलजार कोरोना महामारी का सामना करने के लिए अपने और अपने परिवार की सहायता करने हेतु राशन, ईंधन और महत्वपूर्ण दवाओं जैसे मास्क और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि अन्य निवासियों को इसी तरह की कमी का सामना करना पड़ रहा है । उनके पास घर पर यहाँ तक कि मास्क बनाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। गांव के सरपंच को इसकी सूचना देने के बावजूद कोई उपाए नहीं किए गए ।

श्री गुलजार को पैरा लीगल वोलिंटियर्स (पीएलवी) द्वारा आयोजित डोर–टू–डोर अभियान के दौरान टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । सीएससी के पास जाने पर, श्री गुलजार को वीएलई श्री गुलाम शेख ने अपना मामला दर्ज करने की सलाह दी। सुश्री सुहैला अली इस मामले में नियुक्त पैनल वकील थीं । उन्होंने आवेदक को डिप्टी कमिश्नर (डीसी) के कार्यालय से संपर्क करने और ग्रामीणों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताने की सलाह दी। सलाह के बाद, आवेदक ने डीसी के कार्यालय से संपर्क किया, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मास्क और अन्य आवश्यक वस्तुएं ग्रामीणों को मिल जाएँ । टेली–लॉ योजना के द्वारा दी सूचना कारण श्री गुलजार अपने पूरे गाँव की मदद कर सके

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

RELIEF TO THE COVID DISTRESSED

CASE 5:

A resident of Sidroll village in Ranchi district of Jharkhand, Ms Usha Gari faced problems buying medicines during the lockdown. This prevented her from caring for her relative who suffers from lung problems and has been prescribed regular medicines. Ms Gari knew of the Tele-law scheme because of the awareness sessions conducted in her village. She registered her case, upon the advice of the VLE Mr Shatrudhan Ram. Mr Anajy Nath Shahdeo was the panel lawyer appointed to this case. He informed the applicant that there were no restrictions imposed on the purchase of medicines and that the government had in fact, allowed chemists' shops to remain open.

Mr Shahdeo also recommended that the applicant ensures to take the prescriptions along with her so as to avoid unnecessary obstruction if questioned by the police. By helping Ms Gari by medicines, Tele-law helped save the life of a patient suffering from a lung disease amidst a pandemic.

CASE 6:

Ms Suhaira CK's husband, Saheer, works in Qatar. He had returned home to Vaduvanchal village in Kerala's Wayanad district on 9 March and had been instructed by the health authorities to home quarantine for 14 days, a rule he knowingly flouted. When the health inspector informed the police about the transgression, Mr Saheer was interrogated, and his passport was confiscated. Worried that her husband would be arrested, and his passport cancelled disabling him from returning to work, Ms Suhaira spoke to the VLE Mr Siddique who was also her friend. She was advised to register her case to which panel lawyer Mr Chithralal was appointed. He advised the applicant and her husband home quarantine, explaining why it was necessary. He also informed the couple of the possible actions that could be taken against them for non-compliance.

Following the advice of the lawyer, Mr Saheer home quarantined for 28 days post which he tested negative. Nevertheless, a police case had been filed against him under Section 188 and Section 269 of the Indian Penal Code. After his recovery, Mr Saheer filed a petition before the Court for the return of his passport. The Tele-law scheme helped a couple understand the severity of the virus and how they could avoid breaching administrative rules.

कोरोना वायरस दुखदायी है

मामला 5:

झारखंड के रांची जिले के सिद्रोल गाँव की निवासी सुश्री उषा गारी को लॉकडाउन के दौरान दवाएँ खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्हें अपने रिश्तेदार की देखभाल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो फेफड़ों की समस्याओं से पीड़ित थे और उन्हें नियमित दवाएं निर्धारित की गई थीं । सुश्री गारी अपने गाँव में आयोजित जागरूकता सत्रों के कारण टेली–लॉ योजना के बारे में जानती थी। उन्होंने वीएलई श्री शत्रुध्न राम की सलाह पर अपना मामला दर्ज किया। श्री अंजनी नाथ शाहदेव इस मामले के लिए नियुक्त पैनल वकील थे। उन्होंने आवेदक को सूचित किया कि दवाओं की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वास्तव में, सरकार की ओर से केमिस्टों की दुकानें खुली रहने की अनुमति है।

श्री शाहदेव ने यह भी सलाह दी कि आवेदिका पुलिस द्वारा की सकने वाली पूछताछ में अनावश्यक बाधा से बचने के लिए दवाई की पर्ची अपने साथ ले जाना सुनिश्चित करे । दवाओं द्वारा सुश्री गारी की मदद करके, टेली–लॉ ने एक महामारी के बीच फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित रोगी के जीवन को बचाने में मदद की।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 6:

श्रीमती सौहरा सीके के पति साहिर, कतर में काम करते हैं । वह 9 मार्च को केरल के वायनाड जिले के वड्बाचल गाँव में घर लौट आए थे और स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन्हें नियमानुसार 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन गाँव में रहने का निर्देश दिया था जिसका उन्होंने जानबूझकर पालन नहीं किया । जब स्वस्थ्य निरीक्षक ने पुलिस को अपराध के बारे में साबित किया तो श्री साहेर से पूछताछ की गई, और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया उनकी पत्नी चिंतित जो कि उनके पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके पासपोर्ट निरस्त हो जाएगा जिसकी वजह से वह काम पर वापस नहीं जा पाएगा । श्रीमती सुहैरा ने वीएलई श्री सिद्दीकी से बात की, जो उसके परिचित भी थे । उन्हें सलाह दी गई कि वह अपना केस दर्ज कराएं जिसमें पैनल वकील श्री चित्रालाल को नियुक्त किया गया था । उन्होंने आवेदिका और उसके पति को होम क्वारंटीन पर रहने की सलाह दी और यह समझाया कि यह क्यों आवश्यक है । उन्होंने दंपति को उन संभावित कार्यों की जानकारी दी, जिनका पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है ।

वकील की सलाह के बाद श्री साहिर ने 28 दिनों के लिए होम क्वारंटीन हो गए उनकी कोरोना रिपोर्ट नकारात्मक आई फिर भी, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और धारा 269 के तहत एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था । होम क्वारंटीन पूरा कर लेने के बाद, श्री साहिर ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए अदालत के समक्ष एक याचिका दाखिल की टेली–लॉ योजना ने एक दंपति को वायरस की गंभीरता को और यह समझाने में मदद की और वे प्रशासमीक नियमों का उल्लंघन करने से कैसे बच सकते हैं ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

TELE-LAW IN MEDIA/टेली–लॉ खबरों में

सीएससी का कार्यशाला आयोजित

कार्यशाला में उपस्थित लोग।

शेखपुरा (एसएनबी)। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लोगों को ऑनलाइन सुविधा देने के उद्देश्य कई तरह के प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी के तहत आईटी और कानून मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। सीएससी के तहत ग्रामीणों को घर बैठे विभिन्न तरह की जानकारी और वकीलों द्वारा काम दी जाने वाली कानूनी सलाह मिलेगी। पहले यह सर्विस सीएससी अवगिल में रंजीत कुमार हरित्र के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया जा रहा था। अब इसको विस्तार करके सभी सीएससी सेंटर में लाइव कर दिया गया है। कार्यशाला आयोजन में टेली लॉ स्टेट हेड राहुल कुमार सिन्हा एवं डिस्टिक मैनेजर आरती सिंह एवं अभिषेक सहाय ने सबों को जानकारी दी। सरकार ने न्याय को आसान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की टेली लॉ योजना शुरू की है। इस योजना में कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरतमंदों को दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी।

लोकमित्र केंद्रों में लें कानूनी सलाह

केंद्र ने शुरू की योजना, 30 रुपए के शुल्क में मिलेगी सुविधा

निजी संवाददाता—सलूणी

एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं देने वाले सीएससी के लोकमित्र केंद्रों पर अब ऑनलाइन विधिक सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं।

इसके माध्यम से एससी/एसटी महिला व अवयस्क को कानूनी सलाह मुफ्त दी जाएगी ,जबकि अन्य से तीस रुपए शुल्क लिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत किसी भी मामले में कोई भी इस कानूनी सुविधा का लाभ उठा सकता है। ये सुविधा हिमाचल में अपनी सेवाएं दे रहे लोकमित्र केंद्रों पर शुरू कर दी गई हैं। इस टेली लॉ सर्विस के तहत सेवा के इच्छुक व्यक्ति की लोकमित्र केंद्रों द्वारा फोन व वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करवाई जाती है। जहां पूरे मामले की जानकारी लेकर अधिवक्ताओं का एक पैनल व्यक्ति को विधिक सलाह देता है, जिसके लिए दिल्ली में बैठा अधिवक्ताओं का पैनल फोन व वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की बारीकी से जानकारी देता है। ये सेवा महिलाओं, अवयस्क व एससी/एसटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क शुरू की गई है, जबकि अन्य से मात्र तीस रुपए विधिक सलाह पर शुल्क लिया जाएगा। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के पिछड़ा जिला चंबा को प्रमुखता के आधार पर लेते हुए हर लोकमित्र केंद्र के अधीन एक पैरा लीगल स्वयंसेवी तैनात किया जाएगा जो पंचायतों में कार्य कर लोगों को इस बारे जानकारी देकर मामलों को लोकमित्र केंद्र के माध्यम से इसकी सुविधा दिलवाएगा।

सीएससी लोकमित्र केंद्र के जिला प्रबंधक काकू कपूर ने बताया कि जिले के सभी लोकमित्र केंद्रों में ये सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसके लिए पंचायतों में पैरा लीगल स्वयंसेवी भी तैनात कर दिए गए हैं। बहरहाल, एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं देने वाले सीएससी के लोकमित्र केंद्रों पर अब ऑनलाइन विधिक सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं।

डिजिटल इंडिया न्याय मिलने पर भरत का बड़े अस्पताल में हुआ इलाज

टेली-लॉ ने रिक्शा चालक को दिलाया न्याय

अस्पताल में इलाज कराते भरत व मौजूद उनकी पत्नी ● जागरण

> डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर सीएससी की स्थापना की है। न्यायालय के वकील से कानूनी सलाह की भी सुविधा है। जिससे गरीब परिवारों को न्याय दिलाने में मदद की जा सके। इसी प्रक्रिया से लकड़ीकोला के भरत यादव को भी न्याय मिला है।
>
> **अमित कुमार**, संचालक, सीएससी लकड़ीकोला

संवाद सूत्र, बांका : डिजिटल इंडिया का जरा कई गरीब परिवारों को न्याय दिलाने में कारगर साबित हो रहा है। गांवों में बने कॉमन सर्विस सेंटर पर ग्रामीण इलाके के लोगों की कई समस्याओं का समाधान हो रहा है। अब सीएससी गांव के लोगों को सस्ता कानून भी उपलब्ध करा रहा है। केंद्र पर लोगों को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कानून की जानकारी दी जा रही है। टेली लॉ योजना से बांका प्रखंड के लकड़ीकोला गांव के रिक्शा चालक भरत यादव को न्याय हासिल किया है।

अप्रैल 2018 में ही भरत को शहर में अलीगंज के पास एक वाहन ने ठोकर मार दी थी। इस दुर्घटना में उसके दांया पैर टूट गया। जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। पैर का सही इलाज नहीं होने से उसके पैर का जख्म बढ़ने लगा। दोबारा जब वह अस्पताल गया तो सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद इलाज के लिए भटक रहे भरत को पारालिगल भोलेंटियर रानी महकम कुमारी ने सीएससी में जानकारी प्राप्त की। उसकी मदद हाईकोर्ट के वकील पंकज पांडे से कानूनी सलाह मिली। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और उसके उपचार के लिए अपने कदम बढ़ाए। सीएस सुधीर महतो की पहल पर उसका भागलपुर मेडिकल कॉलेज में ईलाज हुआ। विभाग की लापरवाही से उसे अपना पैर गंवाना पड़ा, लेकिन वह अब पूरी तरह स्वस्थ है।

केस दर्ज करा पैनल लायर से ले सकते हैं सलाह

चित्रकूट | हिन्दुस्तान संवाद

दी जानकारी

- टैली लॉ जागरूकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को दी जानकारी
- विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की टेली लॉ

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लोगों को जानकारी देते जिला समन्वयक। ● हिन्दुस्तान

ग्रामीण स्तर पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए टेली लॉ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बनकट में किया गया। ग्रामीण गांव के डिजिटल सेवा केन्द्र में अपना केस रजिस्टर्ड कराकर हाईकोर्ट के पैनल लायर के माध्यम से उचित सलाह व समस्या का समाधान ले सकते हैं।

सोमवार को गांव बनकट के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज ई लि के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला समन्वयक बदरूद्दीन खान ने बताया कि न्याय एवं विधि मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयोजकतत्व में ग्रामीण स्तर पर टेली ला शुरू की गई है। इस योजना का कोई भी ग्रामीण लाभ ले सकता है। ब्लाक समन्वयक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि टेली ला अच्छी सेवा है।

इसके माध्यम से लोग अपने गांव में ही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। न्याय विभाग के पैरा लीगल वालंटियर अमित शुक्ला ने टेली ला के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डिजिटल सेवा केन्द्र संचालक शशांक शिवहरे ने 10 केस रजिस्टर्ड किए। एचडीएफसी जनरल इन्शोरेंस के मैनेजर चंचल कुशवाहा ने डिजिटल सेवा केन्द्र संचालकों को बीमा कार्य करने के बारे में बताते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया। इस मौके पर जिला प्रबंधक मनीष सिंह, विद्यासागर यादव, अखिल सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, हेमेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र सिंह, जयप्रकाश सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

सीएससी केंद्रों में पढ़ी गई संविधान की प्रस्तावना, ग्रामीणों को दी गई टेली लॉ सेवा की जानकारी

सिटी रिपोर्टर | भभुआ

जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थापित सीएससी केंद्रों में संविधान दिवस उत्सव के रूप में मनाई गई। इस दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीम राव अंबेडकर की तैल चित्र पर माल्यार्पण की गई। उनके प्रति सम्मान व श्रद्धा भी अर्पित की गई। केंद्रों पर संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी गई। इसके साथ ही लोगों को सीएससी केंद्रों से आमजन को मिलने वाली टेली लॉ की भी जानकारी दी गई। कई केंद्रों पर सभा भी की गई। महुअत ग्राम पंचायत के सीएससी केंद्र में अयोजित सभा में विधिज्ञ डॉ राजेश कुमार शामिल रहे। जुटे लोगों को अधिकारों व कर्तव्यों को बताया। कहा कि कर्तव्य व अधिकारों के बीच समन्वय आवश्यक है। भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से संविधान से मूल अधिकार मिले हैं। इन अधिकारों की रक्षा सरकार का दायित्व है। इसके साथ ही सभी के अधिकारों को महत्व देना हम सभी का दायित्व भी है। सीएससी आपरेटर विशाल कुमार ने लोगों को लोगों को सीएससी से मिलने वाली टेली लॉ सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

ऑनलाइन विधि से लोग वैधानिक परामर्श ले सकेंगे

बताया कि केंद्र के जरिए भी ऑनलाइन विधि से लोग वैधानिक परामर्श ले सकेंगे। यह कार्यक्रम सोनहन सीएससी संचालक जयप्रकाश राम, पहाड़िया में अजीत कुमार, कसेर में अनूप कुमार, बड़का गांव में पवन कुमार, कुदरा में अखिलेश सिंह, अंजनी सिंह, चंडेश में रविंद्र कुमार, रामगढ़ में अलीमुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। संचालकों ने बताया कि केंद्रों में टेली लॉ की सुविधा की शुरूआत की गई है। इसे आमजन को स्थानीय स्तर पर विधिक जानकारी आसानी से मिल जा रही है। जिसका लाभ लोगो को मिल रहा है।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

EMPOWERING WITH INFORMATION

अधिसूचना की अपेक्षा रखना

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

EMPOWERING WITH INFORMATION

CASE 1:

Mr Ranjesh Vishwakarma belongs to Parta village in Jharkand's Palamu district. In early May—amidst the worsening pandemic—he wanted to learn more about the advantages and benefits of the Aarogya Setu mobile phone application. The VLE, Mr Ranjit, informed Mr Vishwakarma about the Tele-law scheme over the phone, advising him to register the case and seek help from a panel lawyer. Mr Aksh Basra, who was the appointed lawyer on the case, explained to the applicant that Aarogya Setu was developed by the government of India to help track the virus through GPS and Bluetooth features and use the data to trace, notify and alert others coming into contact with a Covid-19 infected person.

It was highlighted that the data shared was confidential and safe. Thanks to Tele-law, the government's highly successful Aarogya Setu app was able to reach another corner of the country.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 2:

In April when much of the country was still under a lockdown, Ms Shobha Kumari Bauri, a resident of Lalkhatangga village in Jharkand's Ranchi district, worried if she would be able to receive her salary. Ms Bauri came to know of the Tele-law scheme through a friend who had previously availed the service. The VLE, Mr Shatrudhan Ram suggested to Ms Bauri that she register her case. Mr Lal Anajy Nath Shahdeo was the panel lawyer appointed to the case. He informed the applicant that the central government had requested all employers to give all employees their due salaries.

The applicant was advised to wait until the 7th of May, the pay day, to know whether or not she had been paid. The applicant decided to wait until her pay day and raise any concerns, thereafter, should the need arise. Tele-law helped the applicant gain confidence in demanding her salary in the event that she was not paid.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

अधिसूचना की अपेक्षा रखना

मामला 1:

श्री रंजेश विश्वकर्मा झारखंड के पलामू जिले के पराता गाँव के है। मई की शुरुआत में बिगड़ती महामारी के बीच– वह आरोग्य सेतु मोबाइल फोन एप्लिकेशन के फायदे और लाभ के बारे में और अधिक जानना चाहते थे । वीएलई श्री रंजीत ने श्री विश्वकर्मा को फोन पर टेली–लॉ योजना के बारे में सूचित किया और पैनल के किसी वकील से मदद लेने की सलाह दी । श्री अक्ष बसरा जो इस मामले में नियुक्त वकील थे, आवेदक को समझाया कि जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं के माध्यम से वायरस को ट्रैक करने में मदद करने और कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले अन्य लोगों का पता लगाने, उन्हें सूचित करने और सचेत करने के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु को विकसित किया गया है ।

यह रेखांकित किया गया कि साझा किया गया डेटा गोपनीय और सुरक्षित है । टेली–लॉ की बदौलत, सरकार का बेहद सफल आरोग्य सेतु ऐप देश के दूसरे कोने तक पहुँच पाया ।

मामला 2:

अप्रैल में जब देश का ज्यादातर हिस्से में लॉकडाउन था, झारखंड के रांची जिले के लालखतांग्गा गांव की निवासी सुश्री शोभा कुमारी बाउरी चिंतित थीं कि क्या उन्हें वेतन प्राप्त हो पाएगा । सुश्री बाउरी को टेली–लॉ योजना के बारे में एक मित्र के माध्यम से पता चला, जिन्होंने पहले इस सेवा का लाभ उठाया था। वीएलई, श्री शत्रुघ्न राम ने सुश्री बाउरी को सुझाव दिया कि वह अपना मामला दर्ज करें। श्री लाल अनाजी नाथ शाहदेव इस मामले के लिए नियुक्त पैनल वकील थे। उन्होंने आवेदिका को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं से अनुरोध किया था कि वे सभी कर्मचारियों को उनका उचित वेतन दें।

आवेदिका को सलाह दी गई कि 7 मई तक अर्थात वेतन प्राप्ति तक इंतजार करें। यह जानने के लिए कि उन्हें वेतन दिया गया या नहीं । आवेदिका अपने वेतन प्राप्ति दिन तक इंतजार करने और वेतन न मिलने दी दशा में उसके बाद ही कोई कार्रवाई करने का निर्णय लिया । टेली–लॉ ने आवेदिका को वेतन न प्राप्त होने की स्थिति में वेतन की मांग करने में उसकी हौसला तारीफ की।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

EMPOWERING WITH INFORMATION

CASE 3:

As the lockdown went into force, Ms Rashmi Kumari found herself stuck in Jharkhand's Chatakpur village in Ranchi district. She was eager to know about the resumption of transport services so that she could return to her native place. She learnt about the Tele-law scheme when the VLE conducted an awareness programme in the locality. The panel lawyer Mr Lal Anajy Nath Shahdeo was appointed to her case. Ms Kumari was informed that the suspension of transport services had been ordered because of the rapidly spreading virus. She was also told that the services would only be restored when the central government issued the notification and the state government announced protocols for thermal screening and physical distancing. Thanks to the Tele-law, Ms Kumari was able to avoid uncertainty and panic during an already stressful time.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 4:

Just before the lockdown in March, Mr Sangaraju Sunil Raju's wife had travelled across districts to attend a relative's wedding, leaving her husband and children behind in their village, Rachapalli in Andhra Pradesh's Kadapa district. Worried for his wife's safety, Mr Raju wished to know more about availing the necessary permissions to travel so that his wife could return home. He knew about the Tele-law scheme because of an awareness programme the VLE had conducted in the locality.

Ms Chetana Udwala was the panel lawyer assigned to the case. She informed the applicant that a nationwide lockdown was in place and that interstate and inter-district travel had been restricted in keeping with lockdown regulations. Mr Raju had then been advised to seek special permission from the district administration which had been issuing e-passes and curfew passes for travel under special circumstances. The applicant followed the advice and met with the superintendent who had taken his case ahead. In this manner, the Tele-law helped the applicant and his children avoid worrying about their mother and help her reach home.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

अधिसूचना की अपेक्षा रखना

मामला 3:

जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ, सुश्री रश्मि कुमारी ने झारखंड के रांची जिले के चटकपुर गाँव में खुद को फंसा पाया। वह परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी ताकि वह अपने मूल स्थान पर लौट सके। उसे टेली–लॉ योजना के बारे में तब पता चला जब वीएलई ने इलाके में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। पैनल के वकील श्री लाल अनाजी नाथ शाहदेव को उनके मामले में नियुक्त किया गया था। सुश्री कुमारी को सूचित किया गया था की तेजी से फैल रहे वायरस के कारण परिवहन सेवाओं के विलंबन का आदेश दिया गया है।
उसे यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने और राज्य सरकार द्वारा थर्मल स्कैनिंग और शारीरिक दूरी बनाए रखने के प्रोटोकॉल के बाद ही परिवहन सेवाएं बहाल हो पाएँगी। टेली–ला की वजह से ही सुश्री कुमारी पहले से ही चल रहे एक कठिन समय में अनिश्चितता और संत्रास से बच पाईं।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 4:

मार्च में लॉकडाउन से ठीक पहले, श्री संगाराजू सुनील राजू की पत्नी ने एक रिश्तेदार की शादी में भाग लेने के लिए जिलों से होते हुए यात्रा की थी, उनके पति और बच्चे उनके गाँव, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के राचापल्ली में ही थे।
अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए चिंतित श्री राजू ने यात्रा करने के लिए आवश्यक अनुमतियों का लाभ उठाने के बारे में अधिक जानना चाहा, ताकि उनकी पत्नी घर लौट सके। वह टेली–लॉ स्कीम के बारे में पता था क्योंकि वीएलई ने इलाके में एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया था।

सूश्री चेतना उड़वाला पैनल की वकील थी उन्हें यह मामला सौंपा गया था। उसने आवेदक को सूचित किया कि एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन नियमों को ध्यान में रहते हुए अंतरराज्यीय और अंतर जिला यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तब श्री राजू को जिला प्रशासन से विशेष अनुमति लेने की सलाह दी गई थी जो विशेष परिस्थितियों में यात्रा के लिए ई–पास और कर्फ्यू पास जारी कर रहे थे। आवेदक ने सलाह का पालन किया और अधीक्षक से मुलाकात की, जिन्होने मामले में उनकी मदद की। इस तरीके से टेली–लॉ ने आवेदक और उसके बच्चों तथा उनकी माँ को चिंता से मुक्त करने और घर पहुँचने में मदद की।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

EMPOWERING WITH INFORMATION

CASE 5:

Ms Naseera runs a grocery shop in Nenmeni village in Wayanad district of Kerala. One evening in April, she failed to close her shop by 5 PM as per the government guidelines and the police filed a case against her. Ms Naseera had known about the Tele-law scheme because of a door-to-door campaign that the PLV had undertaken. She registered her case for which Mr Chithralal was the panel lawyer. He explained to the applicant that non-compliance of rules during the lockdown was the same as breach of Section 144 and the police may take further action against her.

The Tele-law helped Ms Naseera understand why the police had filed a case against her and prepared her for further action.

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 6:

Mr Chand Pasha, a resident of Deosugur village in Raichur district of Karnataka had taken a loan from someone and due to the lockdown, was unable to pay it. However, the moneylender demanded a repayment of the loan with interest and refused to heed the requests of Mr Pasha. Fortunately, Mr Pasha is the VLE of the locality, so he was aware of the services he could avail. A panel layer, Mr A Purushottama, was appointed to the case who explained to the applicant that because of the lockdown, the government had directed that nobody was allowed to force repayment from those to whom they had lent money.

Mr Purushottama also told the applicant that he should speak with the lender and ask for more time to repay the loan. Thanks to Tele-law, the applicant spoke easily with the moneylender who agreed to extend the time for repayment of debt.

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

अधिसूचना की अपेक्षा रखना

मामला 5:

सुश्री नासीरा केरल के वायनाड़ जिले में नेनमेनी गाँव में एक किराए की दुकान चलाती हैं । अप्रैल की एक शाम, वह सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी दुकान को शाम 5 बजे तक बंद नहीं कर पाई और पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया । सुश्री नासीरा टेली–लॉ योजना के बारे में पता था ।
पीएलवी द्वारा चलाए गए एक डोर–टू–डोर अभियान की वजह से उसने अपना मामला दर्ज किया जिसके लिए श्री छठरलाल पैनल वकील थे । उन्होंने आवेदिका को समझाया कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करना धारा 144 के उल्लंघन के समान है और पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकती है ।

टेली –लॉ ने सुश्री नासीरा को यह समझने में मदद की कि पुलिस ने उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए तैयार किया ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 6:

कर्नाटक के रायचूर जिले के देउसुगुर गाँव के निवासी श्री चंद पाशा ने किसी से ऋण लिया था और लॉकडाउन के कारण वह भुगतान नहीं कर पाया था । लेकिन, साहूकार ने ब्याज सहित ऋण की अदायगी की मांग की और श्री पाशा के अनुरोधों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया । सौभाग्य से, श्री पाशा इलाके के वीएलई हैं, इसलिए उन्हें उन सेवाओं के बारे में पता था जिसका वे लाभ उठा सकते थे । एक पैनल वकील, श्री ए पुरुषोत्तम, को उस मामले में नियुक्त किया गया था जिसने आवेदक को समझाया था कि लॉकडाउन के कारण, सरकार ने निर्देश दिया था कि उन लोगों पर पुनर्भुगतान के लिए दबाव डालने की मनाही है, जिन्होंने पैसे उधार लिए हैं ।

श्री पुरुषोत्तम ने आवेदक से यह भी कहा की वह ऋणदाता से बात करें और ऋण चुकाने के लिए और समय मांगे । टेली–लॉ द्वारा दी गई जानकारी की वजह से ही आवेदक ने साहूकार के साथ आसानी से बात की जो ऋण चुकाने के लिए समय बढ़ाने के लिए सहमत हो गया ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

EMPOWERING WITH INFORMATION

CASE 7:

Mr Md Nasiruddin lives in Giridh district's Kharpoka village in Jharkhand. In January this year, he wanted to learn more about the rights of women, children and senior citizens, as stated under Indian law. Mr Nasiruddin is a good friend of the PLV Mr Sarif Ansari and sought him out to understand the provisions under the Tele-law scheme. Soon after, Mr Nasiruddin sought legal advice under the scheme. His panel lawyer, Mr Sharabil Ahmad explained to Mr Nasiruddin that the constitution provides fundamental rights to all citizens of the country.

He lay special emphasis on the right to education and provision for pension for senior citizens, and other maintenance provisions. Armed with this information, Mr Nasiruddin set about creating awareness among his fellow villagers. A noble task was thus made possible by Tele-law.

CASE 8:

Ms Vijay Thomas had been encountering problems in registration of his plantation land in Muppainad village in Wayanad district in Kerala. He had visited the CSC to avail of other services when he learned about the Tele-law scheme. He registered his case to seek legal advice. Mr Chhitra Lala was the panel lawyer assigned to this case. He advised the applicant that as per plantation rules, it was not possible to register plantation or agricultural land as residential property on which one could build.

Mr Lala, however, added that Mr Thomas could to file a Right to Information (RTI) in the village office to know the reasons for the denial of effort to register his land. The applicant subsequently filed an RTI in the village office, the response for which is awaited. Even though Mr Thomas did not get the result he was hoping for, Tele-law helped him to understand the reason for such a denial, only because of Tele-law.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

अधिसूचना की अपेक्षा रखना

मामला 7:

श्री एम. डी. नसीरुद्दीन, गिरीडीह जिले के झारखंड के खरपोका गाँव में रहते हैं । इस साल जनवरी में वह भारतीय कानून के तहत महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में अधिक जानना चाहते थे । श्री नसीरुद्दीन, पीएलवी श्री सरीफ अंसारी के अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने उन्हे टेली–लॉ योजना के तहत प्रावधानों को समझने के लिए कहा इसके तुरंत बाद, श्री नसीरुद्दीन ने योजना के तहत कानूनी सलाह मांगी। उनके पैनल के वकील, श्री शरबील अहमद ने श्री नसीरुद्दीन को समझाया कि संविधान, देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

उन्होंने शिक्षा के अधिकार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन के प्रावधान और अन्य रखरखाव प्रावधानों पर विशेष जोर दिया । इस जानकारी के साथ, श्री नसीरुद्दीन ने अपने साथी ग्रामीणों के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य शुरू किया । इस प्रकार एक महान कार्य टेली–लॉ द्वारा संभव हो पाया ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 8:

सुश्री विजय थॉमस को केरल में वायनाड जिले के मुप्पैनाड गाँव में अपनी वृक्षारोपण भूमि के पंजीकरण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था । जब वह अन्य सेवाओं के लिए सीएससी गए थे तो उन्हें टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । उन्होंने कानूनी सलाह लेने के लिए अपना मामला दर्ज किया । श्री छितरा लाल इस मामले के लिए नियुक्त पैनल वकील थे । उन्होंने आवेदक को सलाह दी कि वृक्षारोपण नियमों के अनुसार, रोपण या कृषि भूमि को आवासीय संपत्ति के रूप में पंजीकृत करना संभव नहीं है जिस पर कोई भी निर्माण किया जा सके ।

हालांकि, श्री लाल ने यह भी कहा कि श्री थॉमस अपनी भूमि को पंजीकृत करने के प्रयास से इनकार करने के कारणों को जानने के लिए ग्राम कार्यालय में सूचना का अधिकार (आरटी. आई) के तहत आवेदन पत्र दें । आवेदक ने बाद में ग्राम कार्यालय में एक आरटीआई लगाई, जिसके उत्तर का इंतजार है । भले ही श्री थॉमस को वह परिणाम नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद कर रहे थे, फिर भी टेली–लॉ ने उन्हें इस तरह के इनकार के कारण को समझने में मदद की, टेली –लॉ के कारण ही संभव हो पाया ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

EMPOWERING WITH INFORMATION

CASE 9:

Ms Debjani Rajkumar, a resident of Chaulkora village in Assam, wanted to understand the process for execution of a tenancy agreement. She discussed the matter with a person known to her who also lived in her locality. They advised her to seek legal aid under the Tele-law scheme. A panel lawyer, Mr Abhijit Deka, who was assigned to the case, advised the applicant that she may enlist the conditions on which she would agree to give tenancy and put them on a non-judicial stamp paper.

This could be witnessed and signed by two independent witnesses. Thereafter the tenancy agreement could be notarized for a period of 11 months. Based on this advice, and thanks to Tele-law, Ms Rajkumar was able to notarise a tenancy agreement.

CASE 10:

In September 2019, Mr Kabita Mal received a verbal notice from a tea estate to evict the land under his possession in Dhyan Pathar village in Sivasagar district in Assam. Mr Mal came to know about Tele-law through a banner affixed at his local CSC. The VLE brief Mr Mal on the provisions of the scheme and recommended that he seek legal advice by filing a case. Panel lawyer Mr Abhijit Deka was assigned the case. He told Mr Mal that he need not evict the land merely on the basis of a verbal notice. He further explained that ownership of the land is a matter to be determined by the court and that if the applicant is unduly harassed he could ask for police support.

Based on the advice of the lawyer, Mr Mal has not evicted the land nor responded to the verbal notice in any other way. The tea estate has also not insisted on its demands. Tele-law has helped Mr Mal live more fearlessly, now that he has the backing of law.

अधिसूचना की अपेक्षा रखना

मामला 9:

असम के चुलकोरा गोंव की निवासी सुश्री देबजानी राजकुमार किराएदारी समझौते के निष्पादन की प्रक्रिया को समझना चाहती थीं । उन्होंने अपने एक परिचित व्यक्ति के साथ इस विषय पर चर्चा की जो उनके इलाके में ही रहता था । उन्होंने उसे टेली–लॉ योजना के तहत कानूनी सहायता लेने की सलाह दी । एक पैनल वकील, श्री अभिजीत डेका, जिन्हें इस मामले को सौंपा गया था, ने आवेदिका को सलाह दी कि वह उन शर्तों को सूचीबद्ध कर सकती हैं जिन पर मकान को किराएदारी देने के लिए सहमत होंगी और उन्हें उन शर्तों को एक गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर लिखवाना होगा ।

इस पर दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा गवाही दी जानी होगी और हस्ताक्षर किए जाने होंगे । इसके बाद किराएदारी समझौते को 11 महीने की अवधि के लिए नोटरीबद्ध किया जा सकता है । इस सलाह के आधार पर और टेली–लॉ के कारण सुश्री राजकुमार एक किराएदारी समझौते को नोटरीबद्ध कर पाईं ।

मामला 10:

सितंबर, 2019 में श्री कबिता मल को एक टी स्टेट से एक मौखिक आदेश प्राप्त हुआ कि वे असम में सीवसागर जिले में ध्यान पत्थर गाँव में उनके स्वामित्व वाली जमीन को खाली कर दें । श्री मल को अपने स्थानीय सीएससी में लगाए गए एक बैनर के माध्यम से टेली–लॉ के बारे में पता चला । वीएलई ने श्री मल को योजना के प्रावधानों के बारे में बताया और उन्हें मामला दर्ज करके कानूनी सलाह प्राप्त करने की सलाह दी । उन्होंने श्री मल को बताया कि उन्हें केवल मौखिक नोटिस के आधार पर जमीन को खाली कर देने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने यह भी बताया कि भूमि के स्वामित्व का मामला है एक ऐसा मामला होता है, जिसका निर्धारण कोर्ट द्वारा किया जाना होता है और आवेदक यदि बेवजह परेशान किया जाता है तो वह पुलिस की सहायता ले सकता है ।

वकील की सलाह पर श्री मल ने जमीन खाली नहीं की और न ही किसी अन्य तरीके से मौखिक नोटिस का जबाव दिया । टी स्टेट ने भी अपनी मांग को नहीं दोहराया । टेली–लॉ के कारण श्री मल अब बेखौफ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास अब कानून का समर्थन है ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 11:

Mr Akash Karmarkar was in possession of a cheque of Rupees 10,000 drawn in the name of the State Bank of India. He visited the nearest branch of the bank where he lives, in Akeland village in Dhemajji district of Assam, to withdraw the cash but found that due to insufficient funds in the cheque drawer's account, the cheque had bounced. Mr Karmakar learned about Tele-law through a banner at the CSC. Mr Benudhar Pait, the VLE, explained the provisions of the scheme in greater detail to Mr Karmarkar. He registered his case which was then assigned to panel lawyer Dwipen Sharma. Mr Sharma advised the applicant that as per the provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881, a notice would be issued to the drawer within thirty days of the receipt of the cheque.

If the amount remained unpaid after the notice was received, then Mr Karmarkar could file a case under Section 138 of the NI Act. Following this advice, Mr Karmarkar issued a notice to the cheque drawer through a lawyer. Thanks to Tele-law, Mr Karmarkar could demand the money that was his due.

CASE 12:

Mr Mohammad Iqbal Wani, a resident of Harda Panzoo village in Jammu and Kashmir's Budgam district, had received a cheque that bounced because of insufficient funds in the drawing account. The bank had refused to help Mr Wani. A banner at the local CSC helped Mr Wani learn about the Tele-law scheme. He then approached the VLE, Mr Irfan Banday, who informed him that at the cost of Rupees 30, Mr Wani could seek legal counsel. The panel lawyer Kanhaiya advised Mr Wani to seek a "cheque return memo" from the bank in the name of the accused. The memo would tell the cheque issuer to deposit the balance amount to meet the cheque liability.

The applicant approached the bank following the lawyer's advice. The bank furnished a memo in the name of the payer. Armed with this, the applicant was able to warn the payer that on failing to furnish the requisite sum, the applicant would furnish a demand notice after which if the payer still fails to comply, the applicant would file a case against him under Section 138 of Negotiable Instruments Act which could lead to his arrest. At this, payer complied with the memo and deposited the remaining balance. Thanks to Tele-law, Mr Wani was able to secure the money he was owed.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

अधिसूचना की अपेक्षा रखना

मामला 11:

श्री आकाश कर्मकार के पास भारतीय स्टेट बैंक के नाम पर 10,000 रुपए का चेक था । वे असम के धामजी जिले के अकालैंड गाँव में जहां वे रहते थे वहाँ बैंक की निकटतम शाखा गए उन्होंने पाया कि चेक ड्रॉअर के खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण, चेक बाउंस हो गया है । श्री कर्मकार को सीएससी के एक बैनर के माध्यम से टेली–लॉ के बारे में पता चला वीएलई श्री बेनुधर ने उन्हें योजना के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया । उन्होंने अपना मामला दर्ज किया, जिसे तब पैनल के वकील श्री द्विपेन शर्मा को सौंपा गया था । श्री शर्मा ने आवेदक को सलाह दी कि निगोशीबाल इन्स्ट्रूमेंट्स एक, 1881 के प्रावधानों के अनुसार, चेक प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर ड्रॉअर को नोटिस जारी किया जाएगा ।

यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद भी राशि अदा की जानी है, तो श्री कर्मकार एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं । इस सलाह के बाद, श्री कर्मकार ने एक वकील के माध्यम से चेक ड्रॉअर को एक नोटिस जारी किया टेली–लॉ की बदौलत, श्री कर्मकार उन पैसों की मांग कर सके, तो उनको देय थे ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 12:

जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले के हरदा पंजू गाँव के निवासी श्री मोहम्मद इकबाल वानी को एक चेक मिला था, जो ड्राइंग अकाउंट में अपर्याप्त धन के कारण बाउंस हो गया था। बैंक ने श्री वाणी की मदद करने से इनकार कर दिया था। स्थानीय सीएससी के एक बैनर से श्री वाणी को टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । इसके बाद उन्होंने वीएलई, श्री इरफान बंदे से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि 30 रुपये की लागत पर, श्री वाणी कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। पैनल के वकील श्री कन्हैया ने श्री वाणी को आरोपी के नाम पर बैंक से चेक रिटर्न मेमो लेने की सलाह दी। इस मेमो में उल्लेख होगा कि चेक जारीकर्ता के खाते में शेष राशि जमा करें । जिससे देय राशि का भुगतान हो सके ।

आवेदक ने वकील की सलाह के बाद बैंक से संपर्क किया बैंक ने भुगतानकर्ता के नाम पर एक मेमो बनाया । इसके बल पर आवेदक ने भुगतानकर्ता को चेतावनी दी कि यदि अपेक्षित राशि नहीं दी गई तो आवेदक एक मांग नोटिस देगा, जिसके बाद भी यदि भुगतानकर्ता अपेक्षित राशि देने में विफल रहता है, तो आवेदक उसके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम धारा 138 के तहत मामला दर्ज करेगा जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सकती है । इस पर, भुगतानकर्ता ने मेमो का अनुपालन किया और शेष राशि जमा की । टेली–लॉ की बदौलत, श्री वाणी अपने धन को पा सके ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

TELE-LAW IN MEDIA/टेली–लॉ खबरों में

मुरादनगर में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

गाजियाबाद (करंट क्राइम)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर तहसील विधिक सेवा समिति मोदीनगर के सहयोग से जवाहर लाल मेमोरियल कन्या इंटर कॉलेज आयुध निमार्णी मुरादनगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सीनियर डिवीजन सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतेश दीप कमल आनंद ने की।

संचालन शहजाद अली के द्वारा किया गया। शिविर में उपस्थित एसपी यादव जिला अग्रणी बैंक एसएन शर्मा उमाकांत तिवारी तहसीलदार मोदीनगर, कृष्ण पाल शर्मा कानूनी मुरादनगर, राकेश कुमार जिला प्रोबेशन विभाग प्रीति चौधरी अनुराधा अभिषेक कुमार डिस्टिक कोऑर्डिनेटर कॉमन सर्विस सेंटर गाजियाबाद प्रबंधक आवोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मुरादनगर मुकेश सैनी जेल विजिटर नामित अधिवक्ता महेश यादव एसएन शर्मा वरिष्ठ परामर्शदाता सिंडीकेट बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता केंद्र गाजियाबाद के वरिष्ठ परामर्शदाता द्वारा बैंकिंग वित्तीय ग्रन्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया।

राकेश कुमार जिला प्रोबेशन विभाग गाजियाबाद के द्वारा प्रोबेशन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में शिविर में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को जागरूक किया। शिविर को संबोधित करते हुए रतेश दीप कमल आनंद सचिव न्यायधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत मध्यस्था केंद्र वह निशुल्क वकील की सेवाओं के संबंध में जागरूक किया गया। शिविर में इस मौके पर लगभग 200 से 300 तक मामले टैली ला योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए. शिविर का समापन प्रधानाचार्य रेनू तोमर के द्वारा उपस्थित मंचासीन का धन्यवाद देते हुए राष्ट्रीय गान से किया गया। शिविर में उपस्थित सादिक सैफी क्षेत्रीय लेखपाल आदि उपस्थित उपस्थित रहे।

टेली-लॉ योजना : सीएससी इ-गवर्नेंस के माध्यम से जिले में शुरू हुआ नवाचार

गांव में एक्सपर्ट से मिल रही मुफ्त कानूनी सलाह

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कटनी. भारत सरकार के न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया को आमजन तक आसानी से एवं सुगम तरीके से पहुंच जाए इसके लिए सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सीएससी इ-गवर्नेंस के माध्यम से नया नवाचार किया है। अभी तक लोगों को कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए वकील के पास जाने की जरूरत होती थी, साथ ही हर जगह पर वकील की उपलब्धता भी नहीं हो पाती थी। इसको देखते हुए केंद्रीय न्याय विभाग ने सीएससी इ-गवर्नेंस के माध्यम से इस योजना को लागू किया है जिसमें सूचना एवं संचार तकनीकी का इस्तेमाल करके दिल्ली के एक्सपर्ट वकील और जरूरतमंद हितग्राहियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कराया जा रहा है। कानूनी सलाह प्रदान की जा रही है। टेली लॉ योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, अच्छे परिणाम को देखते हुए इसे सभी लागू कर दिया गया है। सेंटरों में जो इस दायरे में नहीं आते व्यक्तियों से मात्र 30 रुपए के शुल्क में सलाह दी जाएगी।

यह है प्रक्रिया : सीएससी जिला प्रबंधक उपेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि टेली-लॉ के माध्यम से लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को उनके गांव, पंचायत में उपस्थित सीएससी केंद्र जाना पड़ता है जहां पर सीएससी के पोर्टल के माध्यम से हितग्राही का ऑनलाइन पंजीयन होगा जिसमें नाम, उम्र,पता, फोन नंबर तथा समस्या का संक्षिप्त में वर्णन होगा और एक्सपर्ट से समय के लिए अपाइंटमेंट फिक्स कर लिया जा रहा है। एक्सपर्ट के द्वारा उस बुकिंग समय में हितग्राही को कानूनी सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान की जा रही है। सीएससी के माध्यम से टेली ला योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही अपना कोई भी पता का पूफ़, जन्मप्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर पंजीयन कराना पड़ रहा है।

केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू की योजना : सीएससी के माध्यम से योजना के पूरे देश में लागू होते ही जिले में इसका सफल प्रयोग हुआ। जिला प्रबंधक उपेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि रीठी जनपद अंतर्गत ग्राम रैपुरा में सीएससी संचालक राजीव गौतम, राहुल, अभय ने ग्राम के है पीड़ित सुरेन्द्र प्रसाद को कानूनी सलाह उपलब्ध कराई। ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेवरी जिला जबलपुर में लेबोरटरी इंचार्ज के तौर पर पदस्थ थे। कमेटी के द्वारा ढाई माह का सेवा अनुदान प्रदान किया। जीवन भर कार्य करने के बाद भी विद्यालय का विलय शासन में हो जाने के बाद भी ना ही कोई राशि प्रदान की गई ना ही उनको नियुक्ति प्रदान की गई जिसपर आज इन्होंने संतोषजनक सलाह पैनल एक्सपर्ट दिलीप कुमार तिवारी से प्राप्त की।

टेली लॉ के माध्यम से शामिल प्रकरण

- दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से बचाव, महिला, बच्चों और वरिष्ठ नगरिको के भरण-पोषण, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन यौन दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ पर।
- जमीन जायदाद व सम्पत्ति का अधिकार, महिला एवं पुरुषों के लिए समान मजदूरी, मातृत्व लाभ, भ्रू हत्या रोकथाम, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल मजदूरी, बच्चों के शिक्षा के अधिकार।
- गिरफ्तारी (गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया, बिना वारंट गिरफ्तारी, जोर जबरदस्ती से गिरफ्तारी, महिला से पूछताछ, पुलिस हिरासत में यातना, एफआइआर प्रक्रिया, जमानती, गैर जमानती अपराध।
- जमानती प्रक्रिया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार और पुनिरवास पर।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

OVERCOMING PROCEDURAL HURDLES

प्रक्रियात्मक बाधाओं पर काबू पाना

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

OVERCOMING PROCEDURAL HURDLES

CASE 1:

Mr Gafur Ali owns land in Latakhat village in Assam's Darrang district. However, the name on the land records that prove his ownership had been spelt incorrectly. Since the VLE Mr Nassim Uddin Ahmed had spread awareness on the Tele-law scheme through telephone, Mr Ali knew about the service. He was advised by the VLE to register his case. The panel lawyer appointed for the case was Abhijit Deka who informed the applicant that typing mistakes could be resolved via application. The applicant was advised to file an application before the circle officer of the area where the land is situated and to include in this application, Gram Pradhan certificate identifying his actual name that could help make the changes in the Chitha (Field Index Register), Mutation and Jamabandi (Records of Rights).

Tele-law helped the applicant understand due process and save himself considerable distress later. As of April, the applicant decided to wait until after the lockdown to initiate this process.

CASE 2:

Mr Kumar lives in Jharkhand's Khijri village in Ranchi district. As the lockdown went into force, he faced a scarcity of ration and was not a ration card-holder. He wanted to know how could procure more ration under the circumstances. He learned about the Tele-law scheme while visiting the CDC to avail of another service. The VLE Mr Shatrudhan Ram suggested that Mr Kumar may register his case. His panel lawyer Mr Lal Anajy Nath Shahde, informed Mr Kumar that the government was providing Modi Aahar for the needful.

He was also told that the state and central governments, in addition to various NGO, were providing ration at different centres, irrespective of whether the beneficiary held a ration card or not. When the applicant tried approached the ration shop, following the advice of the lawyer, he found that Modi Aahar was not being distributed in his area.

Through Tele-Law the applicant was informed and made aware of welfare benefits being provided to the needy during the time of crisis when the local administration is still struggling to ensure that Modi Aahar Scheme reaches its targeted benefeciaries

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

प्रक्रियात्मक बाधाओं पर काबू पाना

मामला 1:

श्री गफूर अली असम के डारंग जिले के लताखत गांव में जमीन के मालिक हैं। हालाँकि, उनके स्वामित्व को साबित करने वाले भूमि रिकॉर्ड पर नाम गलत लिखा गया था। चूंकि वीएलई श्री नसीम उद्दीन अहमद ने टेलीफोन के माध्यम से टेली–लॉ योजना के बारे में जागरूकता फैलायी थी, इसलिए श्री अली इस सेवा के बारे जानते थे । उन्हें वीएलई द्वारा अपना मामला दर्ज करने की सलाह दी गई थी इस मामले को नियुक्त पैनल के वकील श्री अभिजीत डेका ने आवेदक को बताया कि टाइपिंग गलतियों को आवेदन के माध्यम से हल किया जा सकता है । आवेदक को सबसे पहले उस क्षेत्र के सर्कल अधिकारी को जहां जमीन स्थित है । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई और आवेदन पत्र में उनके वास्तविक नाम की पहचान करने वाला ग्राम प्रधान प्रमाण पत्र है जो चिट्ठा (फील्ड रजिस्टर), और जमाबंदी (अधिकारों का रिकॉर्ड) में नाम परिवर्तन करने में मदद मिल सके ।

टेली–लॉ ने आवेदक को उचित प्रक्रिया को समझाने और उसे बाद की बहुत सी परेशानियों से बचाने में मदद की। अप्रैल तक, यह निर्णय लिया गया कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए लॉकडाउन के समाप्त हो जाने तक प्रतीक्षा की जाए ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 2:

श्री कुमार झारखंड के रांची जिले के खिजरी गाँव में रहते हैं। जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ, उसे राशन की कमी का सामना करना पड़ा और वे राशन कार्ड धारक नहीं थे । वह जानना चाहते कि उन परिस्थितियों में अधिक राशन कैसे खरीद सकता है। वो अन्य सेवा का लाभ उठाने के लिए सीएससी गए तो तब उन्हें टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । वीएलई श्री शत्रुधन राम ने सुझाव दिया कि श्री कुमार अपना मामला दर्ज कर सकते हैं। उनके पैनल के वकील श्री लाल अंजनी नाथ शाहदे ने श्री कुमार को बताया कि सरकार जरूरतमंदों के लिए मोदी अहार प्रदान कर रही है।

उन्हें यह भी बताया गया था कि राज्य और केंद्र सरकारें, विभिन्न गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के अलावा, विभिन्न केंद्रों पर राशन प्रदान कर रही हैं, चाहे लाभार्थी के पास राशन कार्ड हो या नहीं। जब आवेदक वकील की सलाह का पालन करते हुए राशन की दुकान पर गए तो उन्होंने देखा कि उनके क्षेत्र में मोदी अहार वितरित नहीं किया जा रहा है।

आवेदक को टेली–लॉ के माध्यम से संकट के उस काल के दौरान, जब स्थानीय प्रशासन यह भी सुनिश्चित करने में संघर्षरत था कि मोदी आहार योजना इसके लक्षित लाभार्थियों तक कैसे पंहुच सके, जरुरतमंदों को प्रदान किए जा रहे कल्याण लाभों के बारे में सूचित और जागरुक किया गया था ।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

OVERCOMING PROCEDURAL HURDLES

CASE 3:

Ms Kolli Satyavathi's husband died in December 2019. The land passbook was, however, still in her deceased husband's name. To get the benefits under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme in January 2020, Ms Satyavathi would have had to change the credentials in the land passbook, a process that daunted her.

Ms Satyavathi learned about the Tele-Law scheme when the VLE organised an awareness programme in her village, Pedamedapali, in Vizianagaram district of Andhra Pradesh. The VLE advised Ms Satyavathi to register her case which was assigned to panel lawyer Chetana Udwala. The lawyer advised Ms Satyavathi to contact the Village Revenue Office (VRO) and Mandal Revenue Office (MRO) with the necessary documents required for the change in name. The applicant was also informed that the property would be transferred to her name.

Within a month of having submitted all her documents, Ms Satyavathi received the land passbook. The amount under the PM-KISAN scheme had also been transferred to her. Tele-law helped Ms Satyavathi avoid a bureaucratic quagmire at a time of immense personal grief.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 4:

Mr Vikash Kumar lives in Chaukhanda village in Jharkhand's Palamu district. Upon the death of his father, Mr Kumar wanted to register the land he inherited in his own name. He knew about the Tele-law scheme because of the awareness programmes that the PLV, Ms Kumari Bharti, had conducted in their locality. Mr Kumar was advised to register his case to which the panel lawyer Kanhaiya was assigned. Mr Kumar was told that in the absence of his father's will, he will have to provide substantial proof of his claims to and rights on the inherited property.

This would include a legal heir certificate that he could obtain from the tehsil office and his father's death certificate that he could get from the hospital. These documents would then be submitted at the Tehsil office. In this manner, the Tele-law scheme allowed Mr Kumar to initiate a seemingly opaque process of which he was not aware.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

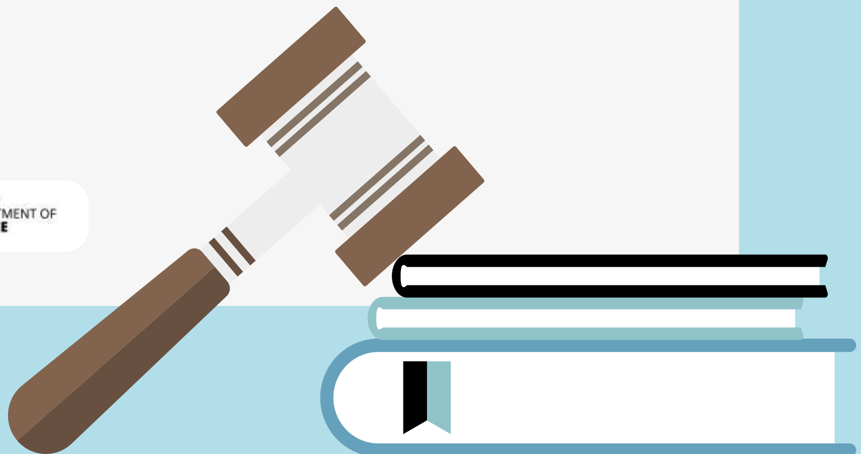

प्रक्रियात्मक बाधाओं पर काबू पाना

मामला 3:

सुश्री कोल्ली सत्यवती के पति की मृत्यु दिसंबर 2019 में हुई थी। भूमि पासबुक अभी भी उनके मृत पति के नाम पर थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) जनवरी 2020 में योजना के तहत लाभ पाने के लिए सुश्री सत्यवती को भूमि पासबुक में नाम आदि विवरण को बदलना था, पर इसकी प्रक्रिया से उन्हें परेशानी हो रही थी ।

सुश्री सत्यवती ने टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला जब वीएलई ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में उसके गाँव पेमादापाली में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) ने सुश्री सत्यवती को अपना मामला दर्ज करने की सलाह दी, जिसे पैनल वकील सुश्री चेतना उदवाला को सौंपा गया था। वकील ने सुश्री सत्यवती को नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम राजस्व कार्यालय (वीआरओ) और मंडल राजस्व कार्यालय (एमआरओ) से संपर्क करने की सलाह दी। आवेदक को यह भी बता दिया गया था कि संपत्ति उसके नाम पर स्थानांतरित हो जाएगी।

अपने सभी दस्तावेज जमा करने के एक महीने के भीतर, सुश्री सत्यवती को भूमि पासबुक मिल गई। पीएम–किसान योजना के तहत राशि भी उसे हस्तांतरित कर दी गई थी। टेली–लॉ ने सुश्री सत्यवती को उसके अपार व्यक्तिगत दुःख के समय नौकरशाही के झगड़ों से बचने में मदद की।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 4:

श्री विकाश कुमार झारखंड के पलामू जिले के चौखंडा गाँव में रहते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद, श्री कुमार ने अपने नाम पर विरासत में मिली जमीन को पंजीकृत कराना चाहा। उन्हें टेली लॉ स्कीम के बारे में जानकारी थी क्योंकि पीएलवी, सुश्री कुमारी भारती ने उसके इलाके में जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया था । श्री कुमार को अपना मामला दर्ज करने की सलाह दी गई, यह मामला पैनल वकील श्री कन्हैया को सौंपा गया था। श्री कुमार को बताया गया कि पिता की वसीयत न होने के कारण, उन्हें विरासत में मिली संपत्ति पर अपने दावों और अधिकारों का पर्याप्त प्रमाण देना होगा।

उन्हें बताया गया कि इसमें एक कानूनी वारिस सर्टिफिकेट शामिल होगा जो वे तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और अपने पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र 'जो वह अस्पताल से प्राप्त कर सकते हैं। फिर इन दस्तावेजों को तहसील कार्यालय में जमा किया जाएगा। इस तरीके से, टेली–लॉ योजना ने श्री कुमार को एक उचित रूप से एक एसी अपारदर्शी प्रक्रिया शुरू करने में मदद दी, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

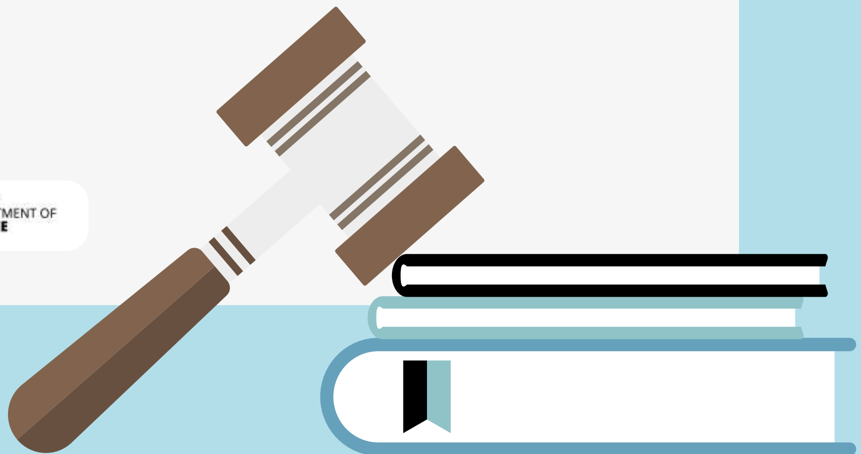

OVERCOMING PROCEDURAL HURDLES

CASE 5:

After the death of his mother, Mr Swastidhar Mohanty inherited her property located in Motto village of Odisha's Bhadrak district. He wanted to transfer the title deed and the rights of the land to himself so that his legal ownership of the land could be established. Except, he did not know the process which involved in the transfer of title.

Through a banner at the local CSC, Mr Mohanty learned about the Tele-law service. The VLE Mr Bijaya Kumar Sahoo advised him to register his case after explaining the provisions of the Tele-law scheme to Mr Mohanty. Panel lawyer Amit Kumar Barrick was assigned to the case. He explained to the applicant that he should submit an application for obtaining a legal heir certificate from the Tehsil's office and his mother's death certificate from the hospital. These documents could then be submitted to the Registrar's office. Mr Mohanty followed the process outlined for him and submitted the requisite documents at the Registrar's office. Thus, Tele-law helped him avoid bureaucratic hassles.

CASE 6:

Residents of Achak village in Odisha's Bhadrak district were being inconvenienced because of all the kutcha roads (unpaved streets) in the village. The village had only one puuca road (paved streets) leading into the town but that too been damaged due to heavy rains and floods. The district administration had not undertaken any maintenance work either. Village residents became increasingly reluctant to travel to town in these conditions.

Mr Sanatan Rout is an inhabitant of this village. He came to know about the Tele-law scheme on Constitution Day when the VLE and villagers had assembled to read the preamble of the Indian constitution in a bid to increase awareness. Through the VLE, Mr Bijaya Kumar Sahoo, Mr Rout learned more about the provisions of Tele-law. He registered his case to which panel lawyer Amit Kumar Barrick was assigned. Mr Barrick advised the applicant to submit an application, with signatures of the entire village, to the Block Development Officer (BDO). As a result of the collective effort, construction of a new road in the village has been sanctioned. In this manner Tele-law helped an entire village overcome inconvenience and remain connected to its neighbouring town.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

प्रक्रियात्मक बाधाओं पर काबू पाना

मामला 5:

अपनी माता की मृत्यु के बाद, श्री स्वस्तिधर मोहंती को ओडिशा के भद्रक जिले के मोटो गांव में स्थित अपनी संपत्ति विरासत में मिली। वह भूमि के विलेख (टाइटल डीड) और अधिकारों को अपने नाम पर स्थानांतरित करना चाहता था ताकि भूमि पर उसका कानूनी स्वामित्व स्थापित हो सके । लेकिन वह उस प्रक्रिया को नहीं जानता था जो टाइटल के हस्तांतरण में शामिल होती है ।

स्थानीय सीएससी में एक बैनर के माध्यम से श्री मोहंती ने टेली–लॉ सेवा के बारे में पता चला । वीएलई श्री बिजय कुमार साहू ने श्री मोहंती को टेली–कानून योजना के प्रावधानों को समझाने के बाद अपना मामला दर्ज करने की सलाह दी। पैनल के वकील श्री अमित कुमार बैरिक को इस मामले को सौंपा गया था। उन्होंने आवेदक को समझाया कि वह तहसील कार्यालय से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करे और अस्पताल से अपनी माँ की मृत्यु का प्रमाण पत्र 'प्राप्त करे। ये दस्तावेज तब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा किए जा सकते थे। श्री मोहंती ने उनके लिए बताई गई प्रक्रिया का पालन किया और रजिस्ट्रार कार्यालय में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस प्रकार, टेली–लॉ ने उन्हें नौकरशाही संबंद्धि बाधाओं से बचने में मदद की।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 6:

ओडिशा के भद्रक जिले के अचक गांव के निवासियों को गाँव की सभी कच्ची सड़कों के कारण असुविधा हो रही थी। गाँव में केवल एक ही पक्की सड़क थीं, जो शहर की ओर जाती थी, लेकिन वह भी भारी बारिश और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं। जिला प्रशासन ने कोई रखरखाव का काम भी नहीं किया था। गाँव के निवासी इन परिस्थितियों में शहर की यात्रा करने में अनिच्छुक हो गए।

श्री सनातन राउत इस गाँव के निवासी हैं। उन्हें संविधान दिवस पर टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला जब वीएलई और ग्रामीणों ने जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए इकट्ठा किया था। वीएलई, श्री बिजय कुमार साहू के माध्यम से, श्री राउत ने टेली–लॉ के प्रावधानों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपना केस दर्ज करवाया जिसमें पैनल के वकील श्री अमित कुमार बैरिक को मामला सौंपा गया था। श्री बैरिक ने आवेदक को पूरे गाँव वालों के हस्ताक्षरों के साथ, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। सामूहिक प्रयास के परिणामस्वरूप, गांव में एक नई सड़क के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस तरह से टेली–लॉ ने एक पूरे गांव को असुविधा से उबरने और अपने पड़ोसी शहर से जुड़े रहने में मदद की।

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

OVERCOMING PROCEDURAL HURDLES

CASE 7:

Mr Maheshwar Lahajal lives in Odisha's Khairpadar village in Kalahandi district. For seven years, his land mutation case had been pending. When Mr Lahajal learned about the Tele-law through a banner at the local CSC, he decided to approach the VLE Mr Birkishori Lahajal. The VLE told him to register his case and panel lawyer Amit Kumar Barrick came to Mr Lahajal's rescue.

He was advised to accumulate all relevant documents and submit them at the Tehsil office. Following this advice, the applicant met with the Additional Tehsildar who forwarded the application for settlement and revision. In 23 days, Mr Lahajal's seven years-long misery was put to and end as the land was finally mutated to his name, all thanks to Tele-law.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

प्रक्रियात्मक बाधाओं पर काबू पाना

मामला 7:

श्री महेश्वर लाहजल ओडिशा के कालाहांडी जिले के खैरपदर गांव में रहते हैं। सात साल से उनका जमीन का म्यूटेशन का मामला लंबित था।
जब श्री लाहजल को स्थानीय सीएससी के एक बैनर के माध्यम से टेली–लॉ के बारे में पता चला, तो उन्होंने वीएलई श्री बिरकिशोरी लाहजल से संपर्क करने का फैसला किया। वीएलई ने उन्हें अपना मामला दर्ज करने के लिए कहा और पैनल के वकील श्री अमित कुमार बैरिक श्री लाहजल के बचाव में आए।

उन्हें सभी संबंधित दस्तावेजों को एकत्रित करने और तहसील कार्यालय में जमा करने की सलाह दी गई। इस सलाह के बाद, आवेदक अतिरिक्त तहसीलदार से मिला, जिसने निपटान और संशोधन के लिए आवेदन को आगे भेजा। 23 दिनों में, श्री लाहजल के सात साल के दुख को खत्म कर दिया गया और अंततया भूमि को उसके नाम पर हो गई, जिसका श्रेय टेली–लॉ को जाता है ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

TELE-LAW IN MEDIA/टेली–लॉ खबरों में

महिलाएं जानें अपने कानूनी अधिकार

लम्भुआ | हिन्दुस्तान संवाद

लंभुआ कस्बे में स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं जज प्रतिभा नारायण ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को संविधान से मिले कानूनी अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। महिलाओं को भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंदों को निशुल्क कानूनी सहायता व परामर्श उपलब्ध कराता है। छोटे-छोटे मामले आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बर्बाद हो रहे समय व धन को बचाया जा सकता है। मुकदमों से दोनों पक्ष बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद उन्होंने लंभुआ में ही सर्वोदय रोड पर टेली ला सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। साक्षरता शिविर को तहसीलदार जितेंद्र गौतम तथा अधिवक्ता सुरेंद्र नाथ शुक्ला ने भी संबोधित किया। इस विधिक जागरूकता शिविर में कई अधिवक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।

इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक श्रीमती उर्मिला सिंह, प्रधानाचार्य डॉ. गुलाब सिंह, समाजसेवी श्रद्धांजलि झा, अवनीश झा, राजकुमार सिंह, शेर सिंह, संदीप सिंह, वीर सिंह, नवनीत सिंह, सतीश दुबे, विनोद सिंह आदि मौजूद थे।

सोमवार को लंभुआ के सर्वोदय इंका में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

जागरूकता

- सर्वोदय इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर
- छोटे-छोटे मामले आपसी सुलह समझौता से निपटाएं: जज

विडीयो कांफ्रेंसिंग से मास्टर ट्रेनरों को दिया गया प्रशिक्षण

रामगढ़ (निसं)। उपायुक्त कार्यालय स्थित एनआईसी ऑफिस में गुरुवार को विडीयो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों को दिया गया प्रशिक्षण। जहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर ये लोग प्रखण्ड स्तर में अन्य भीएलई व पीएलभी को प्रशिक्षित करेंगे। विडीयो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दी गई कि सामान्य वर्ग से मात्र तीस रूपये का शुल्क लेकर व अन्य लोगों को निःशुल्क कानूनी परामर्श टेली लॉ के माध्यम से दी जाएगी। जिससे कि लोगों को समय के साथ खर्च का वहन भी कम पड़ेगा। लोगों में कानूनी जागरूकता लाने को लेकर प्रत्येक पंचायतों में एक पीएलभी की नियुक्ति की जाएगी। पीएलभी ग्रामीणों को समझाने के साथ किसी भी तरह की कानूनी जानकारी समीप के प्रज्ञा केंद्र में जाकर ले सकेंगे जिसकी जानकारी देंगे। कानूनी परामर्श को लेकर पाइनल प्लेट के माध्यम से वकीलों के द्वारा ऑनलाइन जानकारी देकर लोगों को उचित सलाह दिया जाएगा। ताकि लोग किसी भी कानूनी समस्या का समाधान को लेकर वकीलों से जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसलिए ही सरकार ने प्रज्ञा केंद्र में इस सेवा को चालू किया है। ताकि लोग इसके माध्यम से सुगमता व सहूलियत के साथ राय परामर्श ले सकें। मौके सीएसी से रवि कुमार, जिला मैनेजर शिवा, प्रसार, एजुकेशन कंसल्टेंट दीपक कुमार के अलावे सीएसी भीएलई आनन्द महतो, बसंत कुमार, अजय कुमार महतो समेत कई शामिल थे।

घर बैठे मिलेगी वकीलों की सलाह

शेखपुरा. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लोगों को ऑनलाइन सुविधा देने के उद्देश्य कई तरह के प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं. इसी के तहत आइटी और कानून मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गयी है. सीएससी के तहत ग्रामीणों को घर बैठे विभिन्न तरह की जानकारी और वकीलों द्वारा काम दी जानेवाली कानूनी सलाह मिलेगी. पहले यह सर्विस सीएससी अबगिल में रंजीत कुमार हरित्र के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया जा रहा था. अब इसको विस्तार करके सभी सीएससी सेंटर में लाइव कर दिया गया है. कार्यशाला आयोजन में टेली लॉ स्टेट हेड राहुल कुमार सिन्हा एवं डिस्ट्रिक मैनेजर आरती सिंह एवं अभिषेक सहाय ने सबों को जानकारी दी. सरकार ने न्याय को आसान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की टेली ला योजना शुरू की है. इस योजना में कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जरूरतमंदों को दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी. इसके सफल संचालन के गुर सभी संचालकों को दी गयी.

'टेली लॉ' से 50 प्रज्ञा केंद्रों में मिल रही मुफ्त कानूनी सलाह

- लगभग 50 प्रज्ञा केंद्रों में शुरू हुआ मुफ्त कानूनी सलाह देने का काम

प्रतिनिधि ▷ जामताड़ा

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जो कानूनी मामलों में वकील का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं या फिर ये लोग जो शहर तक आने में समर्थ नहीं हैं उन्हें अब प्रज्ञा केंद्र पर ही कानूनी सहायता दी जा रही है. जामताड़ा में अब तक लगभग 50 प्रज्ञा केंद्र पर यह सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है. जल्द ही इसे पूरे जिले में इसे शुरू कराने की तैयारी भी की जा रही है. यह सुविधा लोगों को कानूनी सलाह देने वाली सरकार की योजना 'टेली लॉ' से मिल रही है. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से पंचायत स्तर पर संचालित प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से लोगों को कानूनी सहायता मुहैया करायी जा रही है.

जिले के 442 प्रज्ञा केंद्र पर शुरू होगी यह सेवा : आने वाले कुछ महीने में यह सेवा जिले के सभी प्रज्ञा केंद्र में शुरू हो जायेगी. इस योजना में प्रज्ञा केंद्र (सीएससी) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जरूरतमंद लोगों को वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है. जिले के 442 प्रज्ञा केंद्रों में से लगभग 50 में यह सुविधा दी जा रही है.

प्रज्ञा केंद्र में ऑपरेटर के साथ बैठे लोग.

कहते हैं सीएससी मैनेजर

प्रज्ञा केंद्र पर निःशुल्क कानूनी सहायता देने का कार्य लगभग 50 प्रज्ञा केंद्र पर प्रारंभ हो गया है. जल्द ही पूरे जिले में यह योजना शुरू हो जायेगी. लोग यहां पहुंचे इसके लिए सभी संचालकों को प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है.

-सलील कुमार, सीएससी मैनेजर, जामताड़ा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

आज अभीशिक संवाददाता

गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर तहसील विधिक सेवा समिति मोदीनगर के सहयोग से जवाहर लाल मेमोरियल कन्या इंटर कॉलेज आयुध निर्माणी मुरादनगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सीनियर डिवीजन सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश दीप कमल आनंद ने की। संचालन शहजाद अली के द्वारा किया गया। शिविर में उपस्थित एसपी यादव जिला अग्रणी बैंक एसएन शर्मा उमाकांत तिवारी तहसीलदार मोदीनगर, कृष्ण पाल शर्मा कानूगो मुरादनगर, राकेश कुमार जिला प्रोबेशन विभाग प्रीति चौधरी अनुराधा अभिषेक कुमार डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कॉमन सर्विस सेंटर गाजियाबाद प्रबंधक अवेकिशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मुरादनगर मुकेश सैनी जेल विजिटर नामित अधिवक्ता महेश यादव एसएन शर्मा वरिष्ठ परामर्शदाता सिंडिकेट बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता केंद्र गाजियाबाद के वरिष्ठ परामर्शदाता द्वारा बैंकिंग वित्तीय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। राकेश कुमार जिला प्रोबेशन विभाग गाजियाबाद के द्वारा प्रोबेशन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में शिविर में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को जागरूक किया। शिविर को संबोधित करते हुए, राकेश दीप कमल आनंद सचिव न्यायधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत मध्यस्था केंद्र वह निशुल्क वकील की सेवाओं के संबंध में जागरूक किया गया। शिविर में इस मौके पर लगभग 200 से 300 तक मामले टैली ला योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए। शिविर का समापन प्रधानाचार्य रेनू तोमर के द्वारा उपस्थित सभी का धन्यवाद देते हुए राष्ट्रीय गान से किया गया। शिविर में उपस्थित सादिक सैफी क्षेत्रीय लेखपाल आदि उपस्थित उपस्थित रहे।

शिविर में दी गई असंगठित मजदूरों के अधिकार व कर्तव्य की जानकारी

प्राणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन

भास्कर न्यूज़ | प्राणपुर

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन रविवार को प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में किया गया।

शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। शिविर में पैनल अधिवक्ता प्रवीण कुमार मंडल के द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकार एवं उससे संबंधित उनकी उपयोगी कानून सलाह से संबंधित बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। वहीं, न्यायदूत मो. इजहार आलम ने लोगों को नालसा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में टेली लॉ के बारे में जानकारी दी। लोगों को कानूनी सलाह के लिए नालसा के द्वारा मेपिंग सीएससी केंद्र में टेली लॉ लोक की फ्री कानूनी सलाह देने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मौके पर गोविंद सिंह, फतेह ततमा, सुगिया देवी, संगीता कुमारी, मो. सिद्दीक, रूपक कुमार, मो. समीम, मो. सऊद सहित कई लोग उपस्थित थे।

कामगारों को जानकारी देते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

ACTION AGAINST DOMESTIC ABUSE

घरेलू विवादों के खिलाफ संघर्ष

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

ACTION AGAINST DOMESTIC ABUSE

CASE 1:

Ms. Vasava Shakilaben's husband is an addict who harassed her mentally and physically and spent all her savings. The VLE, Mr. Vasava Prakshkumar Bharatbhai, had conducted Tele-law awareness sessions in the marketplace through which Ms. Shakilaben learnt about the scheme. When she approached the VLE, she was advised to register the case. The panel lawyer Mr. Nirmal Kumar Jitendra advised Ms. Shakilaben to lodge a complaint at the nearest women's police station and file a case of domestic violence. The applicant is preparing to seek appropriate redressal mechanism, which she has become acquainted with thanks to the Tele-law Scheme.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 2:

Ms. Sahera Banu Bepari lives at the Udmari village in the Dhubri district of Assam. Her daughter had been married under the Muslim Personal Law barely a year and a half before the coronavirus outbreak. Although initially the daughter's marriage seemed promising, her husband soon started to physically and mentally harass her. Eventually, she was thrown out of her husband's home.

The case was registered under the Tele-law Scheme by Ms. Bepari on her daughter's behalf, under directions from a previous beneficiary of the scheme. The applicant was given an appointment the very day that the complaint was filed. The assigned lawyer, Abijit Deka, advised the applicant to either lodge a FIR at the nearest police station or file a case of domestic violence before the district judicial magistrate. The applicant could also file a maintenance case at the Family Court seeking proper maintenance of her daughter from her husband. That Ms. Bepari could receive such swiftly legal assistance was thanks to the Tele-law Scheme.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

घरेलू विवादों के खिलाफ संघर्ष

मामला 1:

सुश्री वसावा शकीलाबेन के पति एक व्यसनी व्यक्ति हैं, जिसमें उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उसकी सारी बचत खर्च कर डाली । ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) श्री वासवा प्रकाश कुमार भरतभाई ने बाजार में टेली–लॉ के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किया था, जिसके माध्यम से सुश्री शकीलाबेन को योजना के बारे में पता चला । जब उसने ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) से संपर्क किया, तो उसे मामला दर्ज करने की सलाह दी गई । पैनल के वकील श्री निर्मल कुमार जितेंद्र ने सलाह दी कि वह निकटतम महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करे । आवेदिका उचित निवारण तंत्र को ढूंढने की तैयारी कर रही है, जिसके बारे में उसे अब टेली–लॉ योजना के माध्यम से पता चल चुका है

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 2:

सुश्री साहू बानो बिपारी असम के धुबरी जिले के उमादरी गाँव में रहती हैं। कोरोनोवायरस के प्रकोप से डेढ़ साल पहले उनकी बेटी की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई थी। हालाँकि शुरू में बेटी के शादीशुदा जीवन में सब सही चल रहा था, उसके पति ने जल्द ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। आखिरकार, उसे उसके पति के घर से निकाल दिया गया।

सुश्री बेपारी द्वारा उनकी बेटी की ओर से टेली–लॉ स्कीम के तहत इस योजना के पूर्व लाभार्थी के सुझाव में मामला दर्ज किया गया । आवेदक को उसी दिन नियुक्ति दे दी गई जब शिकायत का नेतृत्व किया गया था।
नियुक्त वकील श्री अभिजीत डेका ने आवेदक को सलाह दी कि या तो निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें या जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करें। आवेदक परिवार अदालत में अपने पति से अपनी बेटी के उचित रखरखाव के लिए एक रखरखाव का मामला भी उठा सकता है। सुश्री बेपारी इस तरह की तेजी से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकीं जिसके लिए उन्होंने टेली–लॉ योजना का धन्यवाद दिया ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

ACTION AGAINST DOMESTIC ABUSE

CASE 3:

Ms Mamta Devi lives in Baror village in Chamba district, Himachal Pradesh. She was the victim of domestic abuse at the hands of her husband who ill-treated her, did not care for her financially nor looked after their children. When Ms Devi expressed a desire to work, her husband beat her and mentally abused her.

The PLV of her community, Ms Babli Kumari, had conducted a door-to-door campaign through which Ms Devi learned about the Tele-law scheme. She visited the CSC thereafter, and was told to register her case. The lawyer Aksh Basra advised Ms Devi to lodge a complaint against her husband at the nearest police station. He also told the applicant to file a court case under section 125 of the Code of Criminal Procedure, seeking maintenance from her husband.

The applicant complained at the police station. The police reprimanded her husband and helped him realise his wrongdoings. The applicant's husband apologised to her and made assurances of no further ill-treatment towards her. Thanks to Tele-law, Ms Devi obtained a chance to lead a safer and more peaceful life.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 4:

In Sahbiswa village in Uttar Pradesh's Ghaziabad district, Ms Bela Kumari was married off to an HIV positive man, without her knowledge. When she tried to talk about this issue with her husband and in-laws, she was beaten and sent to her parents' house. During a legal literacy camp organised by the VLE and the PLV, Ms Kumari learned about the Tele-law scheme. They advised Ms Kumari to seek legal advice. The panel lawyer advised Ms Kumari to lodge a FIR against her husband.

Ms Kumari followed this advice and lodged a complaint at the women's police station. Thereafter, both parties were called to the district mediation centre where the issue was discussed mutually. Thanks to Tele-law, Ms Kumari could protect herself from her in-laws and husband's violence against her.

न्याय विभाग DEPARTMENT OF JUSTICE

घरेलू विवादों के खिलाफ संघर्ष

मामला 3:

सुश्री ममता देवी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बरोर गाँव में रहती हैं। वह अपने पति के हाथों घरेलू दुर्व्यवहार की शिकार थी, जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसकी आर्थिक देखभाल नहीं की और न ही अपने बच्चों की देखभाल की। जब सुश्री देवी ने काम करने की इच्छा व्यक्त की, तो उनके पति ने उन्हें पीटा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

उनके समुदाय की पीएलवी, सुश्री बबली कुमारी ने एक डोर–टू–डोर अभियान चलाया, जिसके माध्यम से सुश्री देवी ने टेली–लॉ योजना के बारे में सीखा। उसके बाद वह सीएससी गई, और उसे अपना मामला दर्ज करने के लिए कहा गया। वकील अक्ष बसरा ने सुश्री देवी को अपने पति के खिलाफ नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। उन्होंने आवेदक को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक अदालत में मामला दर्ज करने के लिए कहा, अपने पति से रखरखाव की मांग की।

आवेदक ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस ने उसके पति को फटकार लगाई और उसके गलत कामों को महसूस करने में मदद की। आवेदक के पति ने उससे माफी मांगी और उसके साथ कोई और बुरा व्यवहार न करने का आश्वासन दिया। टेली–लॉ की बदौलत, सुश्री देवी को एक सुरक्षित और अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने का मौका मिला।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 4:

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सहबिसवा गाँव में, सुश्री बेला कुमारी की शादी एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से हुई थी, जिसके बारे में उसे पता नहीं था । जब उसने अपने पति और ससुराल वालों से इस मुद्दे पर बात की तो उसे पीटा गया और उसे उसके माता–पिता के पास भेज दिया गया । ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) और अर्ध विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) द्वारा आयोजित एक विधिक साक्षरता अभियान के दौरान सुश्री कुमारी को टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला । उन्होंने कानूनी सलाह लेने के लिए सुश्री कुमारी को सलाह दी। पैनल के वकील ने सुश्री कुमारी को उनके पति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की सलाह दी।

सुश्री कुमारी ने इस सलाह का पालन किया और महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की । इसके बाद, दोनों पक्षों को जिला मध्यस्थता केंद्र में बुलाया गया जहां इस मुद्दे पर परस्पर चर्चा की गई । टेली–लॉ की बदौलत, सुश्री कुमारी अपने ससुराल वालों और पति की हिंसा से खुद को बचा सकीं ।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

ACTION AGAINST DOMESTIC ABUSE

CASE 5:

Ms Anima Konwar was regularly abused and ill-treated by her husband. When she learned about Tele-law from a banner at the local CSC in Chaulkora village in Assam, Ms Konwar decided to seek legal advice. Mr Abhijit Deka, the panel lawyer, advised Ms Konwar to lodge a FIR against her husband or institute a case of domestic violence before the District Court.

Ms Konwar heeded the advice and lodged a complaint against her husband. The matter is under process. Thus, Tele-law helped Ms Konwar protect herself against further violence.

CASE 6:

Ms Jamila Begum is divorced from her husband. She lives alone with her only daughter in Sawajian village in Poonch district of Jammu and Kashmir. Ms Begum's husband had, however, refused to return her belongings to her. Thanks to the PLV's door-to-door campaigning, Ms Begum knew about the Tele-law scheme. She filed her case which was handled by the panel lawyer Mr Vikas. He advised the applicant to first try settling the dispute amicably, with the support of friends and relatives. She could also send a legal notice to her ex-husband through a lawyer and demand that he provide maintenance for their daughter.

The applicant followed the lawyer's advice. Her husband, realising the pressure that he was under, agreed to return his ex-wife's belongings and also pay maintenance allowance for their daughter.

घरेलू विवादों के खिलाफ संघर्ष

मामला 5:

सुश्री अनिमा कुंवर को उनके पति ने नियमित रूप से दुर्व्यवहार किया। जब उसने असम के चुलकोरा गांव में स्थानीय सीएससी के एक बैनर से टेली–लॉ के बारे में जाना, तो सुश्री कुंवर ने कानूनी सलाह लेने का फैसला किया। पैनल अधिवक्ता श्री अभिजीत डेका ने सुश्री कुंवर को सलाह दी कि वह अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें या जिला न्यायालय के समक्ष घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करें।

सुश्री कुंवर ने सलाह पर ध्यान दिया और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामला प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार, टेली–लॉ ने सुश्री कुंवर को आगे की हिंसा से बचाने में मदद की।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

मामला 6:

सुश्री जमीला बेगम का अपने पति से तलाक हो गया है। वह जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के सवजियान गांव में अपनी इकलौती बेटी के साथ अकेली रहती है। हालाँकि, सुश्री बेगम के पति ने उन्हें उनका सामान वापस करने से मना कर दिया था। पीएलवी के डोर–टू–डोर अभियान के लिए धन्यवाद, सुश्री बेगम टेली–लॉ योजना के बारे में जानती थीं। उसने अपने मामले का नेतृत्व किया जिसे पैनल वकील श्री विकास ने संभाला था। उन्होंने आवेदक को मित्रों और रिश्तेदारों के समर्थन से विवाद को सुलझाने का प्रयास करने की सलाह दी। वह अपने पूर्व पति को एक वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेज सकती है और मांग कर सकती है कि वह अपनी बेटी के लिए रख–रखाव प्रदान करे।

आवेदक ने वकील की सलाह का पालन किया। उनके पति, जो दबाव में थे, उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी पूर्व पत्नी का सामान वापस करने के लिए सहमत हुए और अपनी बेटी के लिए रखरखाव भत्ता का भुगतान भी करते हैं।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

CASE 7:

Ms Syeda Rizvi lives in Gundipora village in Budgam district of Jammu and Kashmir. A victim of domestic violence, Ms Rizvi was beaten and mentally harassed by her in-laws for not giving birth to a child. At one point, she was locked in a room without any food. After two days of captivity, she managed to run away and came to her parents' place.

She came to know about Tele-law through an Asha worker. Ms Rizvi then approached the CSC where the VLE, Mr Syed Iqbal, told her that she could avail legal advice for free. The panel lawyer assigned to the case was Mr Vikas. He recommended that Ms Rizvi seek the help of District Legal Services Authority or lodge a complaint against her husband and his family. Following this advice, Ms Rizvi filed a complaint against her harassers. Within a month, the matter was resolved; her husband pleaded guilty and agreed to pay a penalty to his wide and provide separate accommodation to her. Tele-law helped Ms Rizvi protect herself against her in-laws and stand up for her rights.

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

घरेलू विवादों के खिलाफ संघर्ष

मामला 7:

सुश्री सैयदा रिजवी जम्मू–कश्मीर के बडगाम जिले के गुंडीपोरा गाँव में रहती हैं। घरेलू हिंसा की शिकार सुश्री रिजवी को उसके ससुराल वालों ने बच्चे को जन्म नहीं देने के लिए पीटा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। एक बार उसे बिना किसी भोजन के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। दो दिनों की कैद के बाद वह भागने में सफल रही और अपने माता–पिता के पास आ गई।

उसे एक आशा कार्यकर्ता के माध्यम से टेली–लॉ के बारे में पता चला। सुश्री रिजवी ने तब सीएससी से संपर्क किया जहां वीएलई, श्री सैयद इकबाल ने उसे बताया कि वह मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकती है। यह मामला पैनल वकील श्री विकास को सौंपा गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि सुश्री रिजवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद लें तथा अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करे। इस सलाह के बाद, सुश्री रिजवी ने अपने उत्पीड़कों के खिलाफ शिकायत का नेतृत्व किया। एक महीने के भीतर इस मामले को सुलझा लिया गया; उसके पति ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी को दंड का भुगतान करने और उसके लिए अलग आवास प्रदान करने के लिए सहमत हो गया । टेली–लॉ ने सुश्री रिजवी की उसे अपने ससुराल वालों से खुद को बचाने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने में मदद की।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

TELE-LAW IN MEDIA/टेली–लॉ खबरों में

टेली–लॉ योजना: हर गांव में एक्सपर्ट से मिलेगी मुफ्त कानूनी सलाह

हरिभूमि न्यूज, बाकल

भारत सरकार के न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया को आमजन तक आसानी से एवं सुगम तरीके से पहुंच जाए इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सी एस सी ई गवर्नेंस के माध्यम से नया नवाचार किया है।

क्या है टेली लॉ

अभी तक लोगो को कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए वकील के पास जाने की जरूरत होती थी। हर जगह पर वकील की उपलब्धता नही हो पाती थी इसको देखते हुए केंद्रीय न्याय विभाग ने सीएससी ई गवर्नेंस के माध्यम से इस योजना को लागू किया है जिसमें सूचना एवम संचार तकनिकी का इस्तेमाल करके दिल्ली के एक्सपर्ट वकील और जरूरतमंद हितग्राहियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कराया जाएगा एवम कानूनी सलाह प्रदान कि जाएगी प्रारंभ में टेली लॉ योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में ही लागू किया गया था परन्तु अच्छे परिणाम को देखते हुए इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया है तथा अभी तक करीब सवा लाख से भी अधिक ग्रामीण नागरिक एक्सपर्ट वकील से चर्चा कर चुके है

कैसे होगी प्रक्रिया

सीएससी जिला प्रबंधक उपेन्द्र

त्रिपाठी ने बताया कि टेली लॉ के माध्यम से लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को उनके गांव, पंचायत में उपस्थित सीएससी केंद्र जाना होगा जहां पर सीएससी के पोर्टल के माध्यम से हितग्राही का ऑनलाइन पंजीयन होगा जिसमें नाम, उम्र, पता, फोन नंबर तथा समस्या का संक्षिप्त में वर्णन होगा और एक्सपर्ट से समय के लिए अपोइंटमेंट फिक्स कर लिया जाएगा, एक्सपर्ट के द्वारा उस बुकिंग समय में हितग्राही को कानूनी सलाह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान कि जाएगी।

पूरे देश मै लागू की योजना

सीएससी के माध्यम से योजना के पूरे देश में लागू होते ही आज जिले में इसका सफल प्रयोग हुआ जिला प्रबंधक उपेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि रीठी जनपद अंतर्गत ग्राम रैपुरा में सीएससी संचालक राजीव गौतम, राहुल, अभय ने ग्राम के है पीड़ित सुरेन्द्र प्रसाद को कानूनी सलाह उपलब्ध कराई ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेवरी जिला जबलपुर में लेबोरेटरी इंचार्ज के तौर पर पदस्थ थे, कमेटी के द्वारा ढाई माह का सेवा अनुदान प्रदान किया, जीवन भर कार्य करने के बाद भी विद्यालय का विलय शासन में हो जाने के बाद भी ना ही कोई राशि प्रदान की गई ना ही उनको नियुक्ति प्रदान की गई जिसपर आज इन्होंने संतोषजनक सलाह पैनल एक्सपर्ट दिलीप कुमार तिवारी से प्राप्त की।

पंजीयन कराने के लिए जरूरी दस्तावेज

- सीएससी के माध्यम से टेली ला योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही अपना कोई भी पता का प्रूफ, जन्मप्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर पंजीयन कराना होगा।

टेली लॉ के माध्यम से शामिल प्रकरण

- दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से बचाव। महिला, बच्चो और वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यौन दुर्व्यवहार, छेड़छाड़। जमीन जायदाद व सम्पति का अधिकार। महिला एवं पुरुषो के लिए समान मजदूरी। मातृत्व लाभ, भ्रूण हत्या रोकथाम, बाल विवाह। बाल श्रम/बाल मजदूरी, बच्चो के शिक्षा के अधिकार। गिरफ्तारी (गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया, बिना वारंट गिरफ्तारी, और जबरदस्ती से गिरफ्तारी, महिला से पूछताछ, पुलिस हिरासत में यातना), एफआईआर प्रक्रिया, जमानती गैर जमानती अपराध। जमानती प्रक्रिया। - अनुसूचित जनजाति/जन जाति के प्रति अत्याचार और पुनर्वास।

किन-किन को मिल सकता है लाभ

टेली लॉ सुविधा का लाभ तो सभी हितग्राही ले सकते है परन्तु महिलाएं, बच्चे (18 साल से कम उम्र के अनुसूचित जनजाति/ जन जाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, श्रमिक, मजदूर जातीय हिंसा से पीड़ित, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित (जैसे भूकंप, -बाढ़, सूखा इत्यादि, दिव्यांग व्यक्ति/मानसिक रूप से अस्वस्थ, गरीबी रेखा के नागरिक, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में है इनको नि:शुल्क कानूनी सलाह प्रदान की जाएगी तथा इस के अलावा जो इस दायरे में नही आते व्यक्तियों से मात्र 30 रुपए के शुल्क मे सलाह दी जाएगी।

इनका कहना है

आम जन तक कानून का ज्ञान और उनको मिलने वाले अधिकार का ज्ञान हो, ग्रामीण नागरिकों को जिनके पास पैसे का अभाव है, शहर से दूरी इत्यादि है उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कैंप लगाया जाता है ठीक उसी प्रकार सीएससी के माध्यम से हम उनको कानूनी सलाह उनके ही गांव में प्रदान करेंगे। आज हमने सभी केंद्रो में हितग्राही पंजीयन करवाया है सफल होने पर जिले के हर ब्लॉक में तहसील कार्यालय के नजदीक टेली लॉ मॉडल केंद्र बनाएंगे।

-उपेन्द्र त्रिपाठी, जिला प्रबंधक, सीएससी

जानकारी देते पदाधिकारी।

टेली लॉ जागरूकता कार्यक्रममें ग्रामीणोंको दी जानकारी

चित्रकूट। न्याय की पहुंच ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिये टेली लॉ कार्यक्रम का आयोजन बनकट ग्राम पंचायत के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंलि. के तत्वावधान में किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित जिला समन्वयक बदरूद्दीन खान ने बताया कि न्याय एवं विधि मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयोजकत्व में टेली ला का प्रारम्भ ग्रामीण स्तर पर किया गया। इस योजना से कोई भी ग्रामवासी लाभ ले सकता है। जिसमें सम्बन्धित डिजिटल सेवा केन्द्र संचालक के पास केश रजिस्टर्ड करा सकता है और हाईकोर्ट के पैनल लायर के माध्यम से उचित सलाह व समस्या का समाधान दिया जा सकता है। इस मौके पर उपस्थित ब्लाक क्वाडिनेटर राजेन्द्र सिंह ने बताया कि टेली ला एक बहुत अच्छी सेवा है। जिसके माध्यम से लोग ग्राम में ही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी जगह जाने की आव श्यकता नही है। जिससे उनके समय व धन की बचत होगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ही समस्याओं का निराकरण करना है। जिससे लोग आगे की कार्यवाही से बचे। इस दौरान न्याय विभाग से उपस्थित पैरा लीगल वालंटियर अमित शुक्ला ने टेली ला के सम्बन्ध मे ग्रामवासियों को पूरी जानकारी दी। इस दौरान नामित डिजिटल सेवा केन्द्र संचालक शशांक शिवहरे ने लगभग दस केस रजिस्टर्ड किया। इसके अलावा एचडीएफसी जनरल इन्श्योरेंस के मैनेजर चंचल कुशवाहा ने डिजिटल सेवा केन्द्र संचालकों को बीमा आदि कार्य करने से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दी। केन्द्र संचालकों की समस्याओं का निराकरण किया। इस अवसर पर जिला प्रबंधक मनीश सिंह, प्रधान प्रतिनिधि विद्यासागर यादव, वीएलइ अखिल सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, हेमेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र सिंह, जयप्रकाश सहित दर्जनों ग्रामवासी मौजूद रहे।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

सत्यमेव जयते

DoJ acknowledges the support and assistance of its Partners in facilitating Tele-Law reaching the unreached.

दूर–दराज के क्षेत्रों में टेली–ला की पंहुच को सुगम बनाने में न्याय विभाग अपने सहयोगियों के समर्थन के लिये कृतज्ञ है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

National Legal Services Authorities

and

CSC
e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED

CSC e- Governance
Services India Limited

Special thanks to Invest India

INVEST INDIA.GOV.IN

in documenting the voices of the beneficiaries

लाभार्थियों की आवाज को लेखबद्ध करने के लिए इनवेस्ट इंडिया का विशेष आभार